भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के विचार

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के विचार

वर्तमान समय में शासन, लोक कल्याण एवं न्यायोचित वृद्धि की अवधारणा के समान है। वर्तमान में सरकार की मूल जिम्मेदारी अपने नागरिकों को सुरक्षा प्रदान करने के परम्परागत कर्तव्य निर्वहन के अलावा व्यापक स्तर पर लोगों के जीवन स्तर में विस्तृत सुधार सुनिश्चित करना है। इसलिए सरकार नीतियां और कार्यक्रम बनाती है जिसका उद्देश्य सामाजिक एवं क्षेत्रीय दोनों लाभ का समुचित वितरण सुनिश्चित करते समय उच्च वृद्धि दर प्राप्त करना है। इस प्रकार सरकार की भूमिका भागीदारीपरक, अनुकूलतापरक, जवाबदेह, पारदर्शी, न्यायोचित एवं विस्तृत है।

शशि कान्त शर्मा

लोक शासन, शक्तियों एवं उत्तरदायित्वों के विभाजन पर आधारित है। परम्परागत रूप से ऐसा विभाजन कार्यपालिका, विधायिका एवं न्यायपालिका के बीच अंतर है। लोक निधि प्रबंधन कार्यपालिका की जिम्मेदारी है और इस क्रिया-कलाप पर चौकसी की जिम्मेदारी या तो विधायिका की अथवा न्यायपालिका की है अथवा भारत के मामले में एक स्वतंत्र सांविधिक प्राधिकारी, स्वतंत्र रूप से विधायिका और कार्यपालिका दोनों की।

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक को यह सुनिश्चित करने की अत्यंत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है कि लोक निधि का समुचित उपयोग किया जाता है और वह भारत में महत्वपूर्ण उत्तरदायी संस्थान है। भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक भारतीय लेखा एवं लेखापरीक्षा विभाग के माध्यम से उद्देश्यपरक, पेशेवर और स्वतंत्र तरीके से अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करते हैं।

हमारे अधिदेश को प्रभावी तरीके से पूरा करने हेतु यह महत्वपूर्ण है कि हम एक विभाग के रूप में अनुभव और ज्ञान साझाकरण के साथ-साथ क्षमता निर्माण में वृद्धि करते हैं। ज्ञान साझाकरण इस विभाग के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसकी मुख्य ताकत पेशेवर विशेषज्ञता के साथ अन्वेषण है।

''सरकारी लेखांकन एवं लेखापरीक्षा जर्नल'' अनुभव साझा करने का एक प्लेटफार्म प्रदान करेगा और पेशेवर उत्कृष्टता को बढ़ाने एवं समझाने में योगदान देगा। मैं इस प्रयास के लिए ढेर सारी शुभकामनायें देता हूँ और आशा करता हूँ कि भारतीय लेखा एवं लेखापरीक्षा समुदाय के सभी सदस्य इसकी प्रगति में योगदान देंगे और इससे लाभान्वित होंगे।

आधार एवं लेखापरीक्षा

आधार एवं लेखापरीक्षा

सुश्री के. गंगा, आईएएएस

सुश्री राजलक्ष्मी देवराज, एडीजी, यूएडीएआई

श्री एन. एन. सुब्रमण्यिम, डीडी, यूएडीएआई

पृष्ठभूमि

यूनीक आईडेंटीफिकेशन ऑफ इण्डिया (यूआईडीएआई) को योजना आयोग के अंतर्गत मूलत: यह प्रदान करने के लिए गठित किया गया था (i) देश के प्रत्येक निवासी की एकल पहचान जो जाली एवं नकली पहचान को दूर करने के लिए पूरी तरह सक्षम है और (ii) एक ऑनलाइन प्रमाणन सेवा जो देशव्यापी एवं सस्ती है। यूआईडी संख्या (आधार संख्या) बायोमिट्रिक डी-डुप्लीकेशन की प्रक्रिया द्वारा विशिष्टता स्थापित करता है और ऑनलाइन आधार सत्यापन सेवा से कहीं से और कभी भी डिज़िटल पहचान का ऑनलाइन सत्यापन किया जा सकता है। यह एक परिवर्तनकारी ई-शासन पहल है जिसका उद्देश्य नागरिकों को एकल पहचान प्रदान करने, भारत सरकार के विभिन्न सामाजिक क्षेत्र योजनाओं की सेवा प्रेषण गुणवत्ता बढ़ाने, वित्तीय समावेश को सुगम बनाने और आधार समर्थित एप्लीकेशनों के विकास के प्रति एक पहचान इंफ्रास्ट्रक्चर की स्थापना करना है।

आधार समर्थित सूक्ष्म भुगतान बुनियादी ढाँचे के साथ वित्तीय समावेश का उद्देश्य समाज के उपेक्षित वर्ग हेतु वित्तीय सेवाओं के तहत पहुँच प्रदान करता है, यूआईडीएआई एक महत्वपूर्ण 'प्रकाश स्तम्भ' एप्लीकेशन है। सूक्ष्म भुगतान के लिए तकनीकी बुनियादी ढाँचा पहले से ही मौजूद है और आधार समर्थित सूक्ष्म भुगतान बुनियादी ढाँचा का क्रियान्वयन किया जा रहा है ताकि सूक्ष्म भुगतान समाधान को पूर्ण किया जा सके। आधार की किसी नागरिक की इलेक्ट्रॉनिक विशिष्ट पहचान करने की क्षमता इसे एक महत्वपूर्ण तंत्र बनाता है और लाभार्थी से जुड़ी सामाजिक योजनाओं के प्रशासन के लिए एक लागत प्रभावी इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्लेटफार्म बनाता है। जब आधार इस आधार पर सामान्य भुगतान एड्रेस के रूप में कार्य करता है कि निधियों को लाभार्थी के आधार से जुड़े खाते मे सीधे स्थानांतरित किया जा सके। भारत सरकार

ने प्रत्यक्ष लाभ स्थानांतरण योजना शुरू किया है जो लक्षित लाभार्थी के खाते में सीधे सब्सिडी और अन्य हकदारियां स्थानांतरित करने हेतु आधार समर्थित बैंक खाते को लाभ प्रदान करता है- सब्सिडियों को विनियमित करने और प्रशासन के मौजूदा अप्रत्यक्ष तंत्र, जिससे अक्षमता एवं सरकारी निधियों की हानि से एक आदर्श परिवर्तन है।

आधार प्लेटफार्म का फायदा उठाते हुए सेवा प्रदान करते समय सरकारी समय, प्रयास और लागत में महत्वपूर्ण बचत हो सकती है। इसके अतिरिक्त, यह पूर्ण रूप से पता लगाने की क्षमता प्रदान करेगा, सरकार से लाभार्थियों को निधि प्रवाह में गैर अस्वीकरण तथा लेखापरीक्षा द्वारा परिष्कृत संवीक्षा में चार चांद लगाएगा।

भारत का सर्वोच्च लेखापरीक्षा संस्थान (साई) जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ सरकारी प्राप्तियों और व्यय की लेखापरीक्षा की जिम्मेदारी है तथा अनुपालन, निष्पादन एवं सूचना प्रौद्योगिकी लेखापरीक्षा करना निहित है। साई द्वारा प्रक्रियाओं और प्रावधानों में लगातार सुधार के आधार पर प्रणालीगत कमियां एवं अन्य कमियों का पता चला। इस प्रकार यूआईडीएआई एवं साई पूरक भूमिकाओं में हैं।

आधार प्रत्यक्ष रूप से लाभ से जुड़ी सब्सिडी आधारित सरकार के सभी सामाजिक कार्यक्रम और प्रत्यक्ष राजस्व संग्रहण का प्रशासन करता है। भारत सरकार के ऐसे पांच लाभकारी महत्वपूर्ण कार्यक्रमों (नरेगा, एसएसए, एमडीएएम, आईएवाई और एनआरएचएम) और खाद्य, उर्वरक एवं तेल सब्सिडी पर 2011-12 के दौरान वार्षिक व्यय क्रमश: ₹ 87,800 करोड़ एवं ₹ 2,11,319 करोड़ की गणना की गई, जो संघ सरकार के कुल बजट का 20 प्रतिशत (लगभग) है। इसके अलावा वर्ष 2011-12 के लिए आयकर से राजस्व ₹ 1,64,485 करोड़ था। अन्य लाभार्थियों से जुड़ी परियोजनाओं पर और राज्यों द्वारा किए गए व्यय को देखते हुए यह अनुमान लगाया जाता है कि साई पूरे लेखापरीक्षा जगत के लगभग 25 प्रतिशत की लेखापरीक्षा करने हेतु आधार का फायदा उठा सकता है।

मिशन सामंजस्य - यूआईडीएआई एवं साई:

सभी सरकारी व्यय और राजस्व के लेखांकन एवं उच्च गुणवत्ता लेखापरीक्षा करने के इसके अधिदेश के अनुसरण में साई मिशन में पारदर्शिता, जवाबदेही और सुशासन की परिकल्पना की

गई है जो सभी हितधारकों, विधायिका, कार्यपालिका तथा लोगों को स्वतंत्र आश्वासन प्रदान करेगा कि निधियों का प्रभावी और वांछित उद्देश्य हेतु उपयोग किया गया है। यूआईडीएआई, पहचान प्रबंधन बुनियादी ढाँचा स्थापित करते समय समान मूल्यों का भी समर्थन करता है। कार्यात्मक पहलुओं को देखते हुए यूआईडीएआई तथा साई द्वारा अपनाए गए लक्ष्य भी समान हैं जैसा कि नीचे दर्शाया गया है:

यूआईडीएआई का लक्ष्य

नकली और जाली पहचान पत्रों को दूर करने के लिए भारत के प्रत्येक निवासी को विशिष्ट पहचान प्रदान करना।

- हानियों एवं नुकसान को कम करने के लिए ऑनलाइन सत्यापन सेवायें प्रदान करना।
- सामाजिक क्षेत्र योजनाओं की सेवा प्रेषण में संवर्धन हेतु आधार समर्थित एप्लीकेशनों के विकास के लिए एक प्लेटफार्म प्रदान करना।
- लाभार्थियों को लाभ के लक्षित प्रेषण एवं सब्सिडी के सीधे स्थानांतरण हेतु एक तंत्र स्थापित करना।

साई के लक्ष्य

यह आश्वासन प्रदान करने के लिए योजनाओं एवं प्रक्रियाओं की समीक्षा कि कार्यकारी द्वारा नियंत्रण तंत्र का कार्यान्वयन किया गया है ताकि:

- जाली एवं नकली पहचान पत्रों को रोका जाए।
- सरकारी निधियों की हानि एवं अपव्यय रोका जा सके।
- योजनाओं का दक्ष एवं प्रभावी प्रशासन।
- योजनाओं के लक्ष्यों एवं उद्देश्यों को प्राप्त किया गया।
- वांछित उद्देश्यों के लिए निधियों का उपयोग किया जा रहा है।

अत: एक ओर जहां यूआईडीएआई विभिन्न सरकारी विभागों/अन्य संस्थानों के लिए एक सुदृढ़ नियंत्रण ढाँचे के विकास में सहायता प्रदान करता है, वहीं दूसरी ओर साई समान लक्ष्यों को प्राप्त करने का आश्वासन प्रदान करता है।

यूआईडीएआई की भूमिका एवं उत्तरदायित्व

उपरोक्त लक्ष्यों की प्राप्ति के प्रति यूआईडीएआई के अंतर्गत कुछ भूमिकायें एवं उत्तरदायित्व निहित हैं जिसमें अन्य के अलावा निम्नलिखित शामिल है:

- निवासियों की यूआईडी बनाना और उन्हें देना।
- अद्यतन तंत्र से संबंधित नीतियां एवं प्रशासनिक प्रक्रियायें बनाना तथा चालू आधार पर यूआईडी डाटाबेस का अनुरक्षण करना।
- विभिन्न सेवायें प्रदान करने हेतु यूआईडी के प्रयोग और उपयुक्तता निर्धारित करना।
- लगातार आधार पर साझेदार डाटा आधार के साथ यूआईईडी को जोड़ने के लिए तंत्र एवं प्रक्रियाओं को निर्धारित करना।
- डाटा अवयवों का मानकीकरण सुनिश्चित करना जिसे यूआईडी और इसके साझेदार डाटाबेस के साथ संग्रहण तथा डिजिटाइज करता है और सक्षम बनाता है।
- क्षेत्रीय स्तर के संस्थानों का समुचित रूप से लाभ लेने हेतु तरीके सुनिश्चित करना जैसे कि साझेदार एजेंसियों के बीच संबद्धता स्थापित करने वाली पीआरआई।

यूआईडीएआई के दृष्टिकोण

यूआईडीएआई में आधार को केंद्र के रूप में माना गया है जो आधार की सेवा प्रेषण क्षमता का लाभ लेने हेतु पूरा वातावरण बना सकेगा। यूआईडीएआई ने कुछ मूलभूत डिजाइन और क्रियान्वयन सिद्धांतों में सहायता प्रदान किया है जो आधार के साथ विभिन्न हितधारकों द्वारा नियोजित अलग-अलग तकनीकियों को जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और पूरी प्रक्रिया की दक्षता में वृद्धि करता है।

डिजाइन सिद्धांत - निम्नलिखित डिजाइन सिद्धांत अपनाए गए हैं:

- अतिसूक्ष्मवाद
- ओपन स्टैंडर्ड आर्किटेक्चर
- अंतरसक्रियता
- पोर्टेबिलिटी
- एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस

- फ्रंट इंड सुगमता एवं बैक इंड जटिलता
- जोखिम घटाव
- नो वेंडर लॉकिंग
- यूनीफाइड प्लेटफार्म एप्रोच
- पारदर्शिता
- इंड टू इंड ट्रैकिंग
- निरंतर फीडबैक एवं निगरानी
- नियत नवपरिवर्तन
- क्राउड सोर्सिंग

कार्यान्वयन सिद्धांत

निम्नलिखित कार्यान्वयन सिद्धांत अपनाए गए हैं:

- व्यापक एवं सतत आधार ईको प्रणाली का निर्माण:

  यूआईडीएआई ने सरकारी एवं अन्य संस्थानों की मौजूदा संरचना का लाभ उठाने हेतु साझेदारी मॉडल एवं विभिन्न ईको प्रणाली साझादारों के सतत विकास की वकालत की है।

- विभिन्न परियोजना अवयवों के लिए क्रियान्वयन एवं भुगतान के दृष्टिकोण के आधार पर परिणाम:

  यह स्वतंत्रता, परिणाम या इसकी गुणवत्ता को अधिकतम करने के लिए लागू कर्ताओं को प्रोत्साहन प्रेरणा और प्रोत्साहन देते हुए और यह सुनिश्चित करते हुए कि परियोजना अवयव हेतु भुगतान करने से पूर्व परिकल्पित परिणाम प्राप्त कर लिए हैं, वास्तविक लागत की क्षतिपूर्ति के परम्परागत मॉडल से एक बहुत बड़ा परिवर्तन है जिसमें सूक्ष्म प्रबंधन निहित नहीं है।

- एक मानकीकृत ढाँचे के अंदर लचीलापन:

  यूआईडीएआई में लचीलापन निहित है जब भी एक मानकीकृत ढाँचे के भीतर भिन्न-भिन्न दृष्टिकोण अपनाने के लिए विभिन्न हितधारकों को समर्थ बनाने और निवासियों के विकल्प का अवयव चुनने हेतु व्यवहार्य हों। हितधारकों तक इसकी पहुँच, प्रोत्साहन

एवं इस पर जोर देना, यूआईडीएआई के दृष्टिकोण का एक अत्यंत महत्वपूर्ण भाग रहा है।

- हैंडहोल्डिंग दृष्टिकोण:

  यूआईडीएआई ने एक मॉडल की वकालत की है जिसके द्वारा विभिन्न हितधारकों के लिए यूआईडीएआई द्वारा टेम्पलेट आरएफपी/आरएफक्यू तैयार किया गया है और एजेंसियों/ फर्मों को चैनल में शामिल किया गया है जो आधार की अवधारणा एवं दृष्टिकोण समझते हैं, जिसमें दक्ष मॉडल स्वीकरण की व्यवस्था है।

- प्रोत्साहन सुसंगत दृष्टिकोण:

  आधार प्लेटफार्म की विशिष्ट विशेषतायें विभिन्न डोमेन में प्रक्रिया प्रवाह की पुनर्परिभाषा को सबसे निश्चित तरीके से आगे बढ़ाएंगी। यूआईडीएआई ने इस रूपांतरण को प्राप्त करने हेतु एक प्रोत्साहन सुसंगत दृष्टिकोण की वकालत की है।

  आधार प्लेटफार्म की विशिष्ट विशेषतायें:

  अन्य आईटी प्रयासों की तुलना में आधार के अन्तर्निहित मूल्य निसंदेह रूप से निवासियों के ऑनलाइन सत्यापन और बायोमिट्रिक कारणों के माध्यम से निवासी की पहचान करने की विशिष्टता के साथ दो विशिष्ट विशेषताएं हैं। यह विशेषता अंतिम प्रयोक्ता/लाभार्थी की पिछली मील ट्रैकेबिलिटी सहित सम्पूर्ण छोर से छोर ट्रैकबिलिटी सम्भव करता है जो स्वयं में एक आयामी उपलब्धि है क्योंकि यह वस्तुओं एवं सेवाओं वास्तविक खपत की निस्संदेह साक्ष्य प्रस्तुत करता है। इस लाभकारी सूचना को सरकारी विभागों/ मंत्रालयों/अन्य हितधारकों द्वारा और पुख्ता किया जा सकता है और सेवा प्रेषण की दक्षता और प्रभावकारिता बढ़ाने के लिए मूल प्रक्रियाओं की प्रकृति, सीमा और समय को बदलने एवं पुनर्निर्धारित करने हेतु एक आधार के रूप में इसका प्रयोग किया जा सकता है। अंत: प्रचालनीय आधार समर्थित भुगतान व्यवस्था से सेवा प्रेषण की गुणवत्ता में वृद्धि सुनिश्चित करते हुए सरकारी निधियों/राजस्वों की हानियों और नुकसान प्रक्रिया विलम्ब को दूर करना है अपेक्षित है।

मौजूदा ईको प्रणाली में चुनौतियां

मंत्रालय/विभाग विभिन्न लाभकारी सामाजिक क्षेत्र और कल्याणकारी योजनाओं के कार्यान्वयन तथा निवासियों से राजस्व संग्रहण कम्प्यूटरीकरण के विभिन्न चरणों में है। जबकि उनमें से कुछ अभी भी मैनुअल प्रणाली में चल रहे हैं अन्य ने सूचना एवं संप्रेषण प्रौद्योगिकी का सृजन किया है तथा अपनी मूल प्रक्रियाओं को स्वचालित कर दिया है। ये स्वचालन, हालांकि अंतिम लक्षित, प्रयोक्ताओं/लाभार्थियों को लाभ/हकदारी पहुँचाने की पुष्टि प्रदान नहीं करते हैं। साई से इनपुट प्राप्त करने के पश्चात् प्रशासनिक सुधार आयोग ने अन्य के बीच सरकार द्वारा प्रदान की गई निधियों के अंतिम प्रयोक्ता के संबंध में मौजूदा प्रणाली में प्रत्यक्षता के अभाव को भी इंगित किया है।

इसके अतिरिक्त, कई स्रोतों से डाटा का सृजन किया जाता है और मैनुअल डाटाबेस में त्रुटि की संभावना रहती हैं। फलस्वरूप अनुचित सूचना/डाटा के आधार पर लिए गए निर्णय स्वाभाविक रूप से दोषपूर्ण होते हैं और योजनाओं/कल्याण कार्यक्रमों के प्रशासन में प्रभावित एवं दक्षता पर संदेह है। साई की विभिन्न प्रतिवेदनों में वर्तमान प्रणाली में गलत और अवास्तविक डाटा सृजन करने पर प्रकाश डाला गया है। बिन्दुओं पर मामले राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन और महात्मा गॉधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना पर हाल की निष्पादन लेखापरीक्षा रिपोर्ट 2 में हैं, जिसमें डाटा विश्वसनीयता पर गंभीर प्रश्न उठाने वाले डाटा में भारी अंतर दर्शाया गया है। विभिन्न क्षेत्रीय स्थानों द्वारा रिपोर्ट की गई जननी सुरक्षा योजना से संबंधित डाटा पर राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन पर रिपोर्ट की गई जननी सुरक्षा योजना से इस प्रकार हैं:

- मंत्रालय के पास उपलब्ध डाटा के अनुसार, आंध्र प्रदेश, बिहार और चंडीगढ़ मे आवासीय प्रेषणों की संख्या 'शून्य' थी, जबकि 2005-08 की अवधि के दौरान लेखापरीक्षित जिलों में डीएचएस के अभिलेखों में अकेले क्रमश: 1,81,748, 10,193 और 11,079 आवासीय प्रेषण थे।
- बिहार में लेखापरीक्षित जनपदों में लाभार्थियों को किए गए भुगतान एवं संस्थागत प्रेषणों से संबंधित डाटा में देखी गई अनियमिततायें इस प्रकार थी:

वर्ष	संस्थागत प्रेषणों की संख्या		लाभार्थियों की संख्या जिन्हें प्रोत्साहन राशि का भुगतान किया गया था	
	डीएचएस के अनुसार	स्वास्थ्य इकाईयों के अभिलेखों के अनुसार	डीएचएस के अनुसार	स्वास्थ्य इकाईयों के अभिलेखों के अनुसार
2005-06	856	2344	शून्य	शून्य
2006-07	24079	17079	13590	7558
2007-08	157277	113344	137891	92634
कुल	182212	132767	151481	100192

इसी प्रकार, महात्मा गॉधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना पर निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में निष्कर्ष दिया गया है कि मूल अभिलेखों के गैर अनुरक्षण या अनुचित अनुरक्षण की कमियां, नमूना जांच की गई ग्राम पंचायतों का 18 से 54 प्रतिशत थी और वह डाटा योजना के परिकल्पित आउटपुट और परिणामों के मूल्यांकन के लिए वर्तमान स्वरूप संदेहास्पद नहीं था। साई ने देखा कि योजना से जुड़ा इलेक्ट्रॉनिक डाटा भी कमियों और अनियमितताओं से भरा था जैसा नीचे दर्शाया गया है:

प्रतिवेदन में दर्शाई गई कमियों का सार

- पंजीकृत लाभार्थियों के संदिग्ध/अवैध नाम 18 राज्यों के 1,23,849 मामले देखे गए, जिससे इनके लिए डाटा अनुपयुक्त था (i) डाटाबेस में एक बार से अधिक उसी लाभार्थी की मौजूदगी का सत्यापन और (ii) अन्य डाटाबेस जैसे जनगणना, चुनाव आयोग आदि के साथ प्रति सत्यापन।
- 19 राज्यों में 6,42,14,836 मामलों में पंजीकृत परिवारों की अवैध मकान संख्या देखा गई थी जिसके कारण लाभार्थियों की प्रत्यक्ष उपलब्धता सत्यापन हेतु अतिसंवेदनशील नहीं थी।

विस्तृत संदर्भ

- प्रतिवेदन के अनुबंध 12 बी में विवरण सहित अध्याय 12
- प्रतिवेदन के अनुबंध 12 सी में विवरण सहित अध्याय 12

लेखापरीक्षकों के दृष्टिकोण से, विश्वसनीय डाटा/सूचना की उपलब्धता मितव्ययिता, प्रभाविता और दक्षता की किसी भी लेखापरीक्षा के आधार के साथ-साथ अविश्वसनीय डाटा पर आधारित निष्कर्षों में भारी अंतर होगा। मौजूदा प्रणाली में, जो अंतिम प्रयोक्ताओं/लाभार्थियों पर प्रमाणिक डाटा नहीं प्रदान करता है और प्रणाली में कई माध्यमों से डाटा लिया जाता है तो लेखापरीक्षक गैर प्रबंधकीय और जटिल डाटा के माध्यम से जांच करता है और डाटा की विश्वसनीयता का मूल्यांकन करने हेतु प्रमाणित करने वाली प्रक्रियाए अपनाता है।

अपनी विशिष्ट विशेषताओं के साथ आधार मौजूदा ईको प्रणाली की अपारदर्शिता और सीमाओं को दूर करने हेतु तकनीकी आधारित समाधान प्रदान करता है और आज तक विकसित किए गए अन्य आईटी प्रणालियों से बहुत अधिक भिन्न है। अंतिम प्रयोग ट्रैकिंग करके सत्यता के एकल स्रोत के रूप में कार्य करने वाले ढाँचे पर गैर-निराकरणयोग्य डाटा संग्रहीत करता है जो चालू आधार पर लगातार अद्यतित होता रहता है। मानकीकृत रूप में संग्रहीत और एकीकृत विश्वसनीय इलेक्ट्रॉनिक डाटा भी लेखापरीक्षा को आसानी से उपलब्ध होगा। इस प्रकार सुदृढ़ आधार संरचना नियंत्रण ढाँचे की प्रभाविता बढ़ाता है, अंतिम प्रयोग ट्रैकिंग सुनिश्चित करता है,

मध्यवर्ती प्रक्रियाओं को समाप्त करता है, पारदर्शिता बढ़ाता है, सुशासन और लेखापरीक्षा द्वारा परिष्कृत संवीक्षा में सहायता प्रदान करता है, जिसकी नीचे विस्तार से चर्चा की गई है।

आधार ईको प्रणाली के बाद साई को कैसे लाभ हो सकता है

आधार ईको प्रणाली के बाद साई को निम्नलिखित तरीकों से लाभ होगा:

- **नीतिगत योजना:** उपरोक्त उल्लेख के अनुसार, समूचे लेखापरीक्षा जगत के लगभग 25 प्रतिशत को आधार का लाभ मिल सकेगा। आधार ईको प्रणाली के बाद में लेखापरीक्षा जगत के इस भाग को ओर-छोर प्रसंस्करण, विश्वसनीय वास्तविक समय डाटा और डाटा जो प्रक्रियाओं का निर्धारण करता है, उच्च दृश्यता द्वारा विशिष्ट हो जाएगा। ये विशेषतायें लेखापरीक्षकों को आंतरिक नियंत्रण ढाँचे के परिष्कृत मूल्यांकन करने तथा विश्वसनीयता का पता लगाने के लिए लेखापरीक्षकों को जोखिम मूल्यांकन में सहायता देगा जिसे नियंत्रण ढाँचे पर लागू किया जा सकता है। चूँकि पश्च आधार ईको प्रणाली नियंत्रण ढाँचे के मूल्यांकन लक्ष्य और संबद्ध जोखिम को सुविधा प्रदान करता है, साई नीतिगत योजना और लेखापरीक्षाओं के कार्यक्रमों हेतु वैज्ञानिक जोखिम सूचकांक दृष्टिकोण लागू करने में सक्षम हो सकेगा।
- **लेखापरीक्षा कार्यान्वयन:** आधार **सत्यापन** ढाँचा अंतिम प्रयोक्ता ट्रैकिंग करता है और एक मजबूत इलेक्ट्रॉनिक लेखापरीक्षा ट्रेल स्थापित करता है। इस प्रकार लेखापरीक्षक नियंत्रण ढांचे की प्रभावकारिता और पर्याप्तता तथा न्यूनतम प्रयास के साथ अनुपालन आवश्यकताओं एवं अपेक्षाकृत कम स्वतंत्र जांच प्रक्रियाओं को अपनाने पर व्यावहारिक आश्वासन प्राप्त करने में समर्थ होंगे। लेखापरीक्षक प्रणालीगत मुद्दों पर अधिक ध्यान दे पाएंगे जिससे लेखापरीक्षा क्षमता में वृद्धि होगी।
- **नवीन साक्ष्य संग्रहण:** लेखापरीक्षा लाभार्थियों की पहचान के सत्यापन एवं अन्य पक्ष पुष्टि/सत्यापन प्राप्त करने हेतु किसी, अन्य प्रयोक्ता विभाग की तरह आधार सत्यापन ढांचे का लाभ ले सकता है।
- **डाटा वैश्लेषिकी:** व्यक्तिगत योजनाओं/लेखापरीक्षा क्षेत्रों के जटिल डाटा का डाटा व्याख्या एवं उसका विश्लेषण, लेखापरीक्षकों की परम्परागत ताकत रही है। मान लीजिए आधार प्लेटफार्म विभिन्न सरकारी योजनाओं और डाटाबेस में लाभार्थियों के सामान्य **निर्धारक**

एवं **विशिष्ट तंत्र** के रूप में कार्य करने वाली डाटा बेस में आधार संख्या तथा डाटा की विश्वसनीयता सुनिश्चित करता है, लेखापरीक्षक अब अपने डाटा व्याख्या कौशलों का लाभ उठा सकते हैं और समस्त जनसंख्या के डाटा विश्लेषण के परिष्कृत डोमेन पर शुरू कर सकते हैं।

डाटा विश्लेषक तंत्र और तकनीकों का लाभ उठाना: व्यापक लागत एवं विशेषताओं वाले विभिन्न संयंत्रों - अस्थायी क्षमताओं से शुरू होकर और निरंतर निगरानी करने वाली सीमा तक - डाटा वैश्लेषिकी निष्पादन हेतु मौजूद। पूरी जनसंख्या पर निष्पादित डाटा विशलेषण (100 प्रतिशत जांच) सैम्पलिंग त्रुटियों और उनके परिणामी प्रभावों को दूर करता है। डाटा विश्लेषण तकनीकों में अन्वेषी डाटा विश्लेषण, पुष्टकारी डाटा विश्लेषण, प्रतिपादक वैश्लेषिकी आदि शामिल हैं जिसका उपयोग महत्वपूर्ण प्रक्रियाओं पर यह सुनिश्चित करने के लिए किया जा सकता है:

- वर्तमान नियंत्रण वातावरण की संचालनात्मक प्रभावकारिता का निर्धारण
- धोखाधड़ी प्रक्रियाओं तथा नियंत्रण के प्रति प्रभाविता का निर्धारण
- कारोबारी प्रक्रिया त्रुटि की पहचान
- कारोबारी प्रक्रिया सुधारों और नियंत्रण वातावरण में अक्षमता की पहचान
- अपवादों और असामान्य कारोबारी नियमों की पहचान
- ऐसे क्षेत्रों की पहचान जहाँ घटिया डाटा गुणवत्ता हो
- मूल कारण विश्लेषण करना
- आश्वासन गतिविधियों के माध्यम से चिह्नित संचालनात्मक सुधारों और लागत बचत का निर्धारण करना

विशिष्ट उपाय के रूप में आधार: डाटा बेस में आधार संख्यायें विभिन्न सरकारी योजनाओं और डाटाबेस में लाभार्थियों के एक सामान्य पहचानकर्ता और विशिष्ट उपाय के रूप में कार्य करती हैं। आधार की यह विशिष्ट विशेषता महत्वपूर्ण लिंक प्रदान करता है और डाटाबेस के एकीकरण/इंटरलिंकिंग तथा प्रति विभागीय परिप्रेक्ष्य से गहन विश्लेषण हेतु डाटा विश्लेषक तंत्र के नियोजन को सरल बनाता है।

निरंतर लेखापरीक्षण: आधार ईको प्रणाली के बाद वास्तविक समय आधार पर उपलब्ध सभी डोमेन में इलेक्ट्रॉनिक डाटा के साथ एकीकृत प्रणाली आवधिक निगरानी एवं लेखापरीक्षा के

मौजूदा तंत्र के प्रति निरंतर लेखापरीक्षण की अवधारणा के विस्तार को अपनाने की अनुमति देती है। उपयुक्त लेखापरीक्षा सॉफ्टवेयर जैसे कि सामान्यीकृत लेखापरीक्षा सॉफ्टवेयर, सन्निहित लेखापरीक्षा माड्यूलों, एकीकृत जांच सुविधाओं आदि को निरंतर लेखापरीक्षा हेतु नियोजित किया जा सकता है।

- कार्रवाई योग्य सिफारिशें: डाटा वास्तविकता एवं रिपोर्टिंग उच्च गुणत्तापरक डाटा का प्रयोग करते हुए समस्त प्रक्रिया की एकीकृत ओर-छोर अवलोकन प्रदान करती है जो प्रणालीगत कमियों को बाहर लाने के अतिरिक्त विशिष्ट संचालनात्मक/प्रक्रिया संबंधी कमियों की पहचान के लिए लेखापरीक्षकों की क्षमता बढ़ाता है। इस प्रकार आधार ईको प्रणाली के बाद लेखापरीक्षक अवधारणात्मक, सामान्य और व्यापक उच्च स्तरीय सिफारिशों को प्रतिबंधित करने की बजाए लेखापरीक्षकों को लेखापरीक्षिती को विशिष्ट कार्रवाईयोग्य सिफारिशें प्रदान करने में सक्षम बनाएगा। अनुसरण करने और अनुपालन की निगरानी करने हेतु विशिष्ट कार्रवाई योग्य सिफारिशों को अपेक्षाकृत सरल होना चाहिए।
- लेखापरीक्षा की कम लागत: आधार संरचना का सर्वत्र लाभ उठाकर सभी हितधारकों-प्रयोक्ता विभागों, निवासियों, वित्तीय संस्थानों और लेखापरीक्षा की लागत में कमी करता है क्योंकि यह समय प्रयास और लागत बढ़ाने वाली जटिल प्रक्रियाओं को सरल बनाता है। पश्च आधार ईको प्रणाली लेखापरीक्षा प्रयास के बेहतर प्राकलन की अनुमति देगा और लेखापरीक्षा प्रबंधन को और बेहतर बनाएगा जो साई को लागत प्रभावी प्रक्रियाओं के नियोजन एवं संसाधनों के ईष्टतम आबंटन हेतु सक्षम बनाएगा।

निष्कर्ष:

यूआईडीएआई एक परिवर्तनकारी परियोजना है जिसका लक्ष्य निवासियों को विशिष्ट पहचान प्रदान करने और वित्तीय समावेश में आधार का उपयोग और उपयुक्तता सुनिश्चित करना तथा भारत सरकार की सामाजिक क्षेत्र की विभिन्न योजनाओं के सेवा प्रेषण में संवर्धन करने के प्रति एक पहचान ढांचा स्थापित करना है। यूआईडीएआई ने पायलट चरण में 20 करोड़ से अधिक निवासियों को पहले पंजीकृत किया है और मार्च 2014 तक 40 करोड़ और निवासियों को

पंजीकृत करना प्रस्तावित है। यूआईडी ने शुरू में नामांकन पूर्ण करने के लिए मार्च 2017 तक की समय-सीमा की परिकल्पना की थी लेकिन आरजीआई के साथ भी कुछ राज्यों/संघ शासित प्रदेशों में नामांकन करने से पूरी जनसंख्या का नामांकन मार्च 2015 तक ही पूरा होने की उम्मीद है। आधार सत्यापन सेवाओं को भी आगे बढ़ाया जा रहा है और ये सेवाएं सर्वव्यापी हो जाएंगी एक बार जब आधार नामांकन राज्यों/संघ शासित प्रदेशों में पूरी जनसंख्या को कवर कर ले। केंद्र एवं राज्य सरकार मंत्रालय/विभाग आधार को विभिन्न सेवाओं के साथ जोड़ने हेतु खाका तैयार कर रहे हैं। तार्किक अनुमान के अनुसार साई की आश्वासन प्रक्रियाओं को बदलते क्रम में अपनाना होगा। यह लेख आधार के उचित उपयोग एवं उपयोगिता और आश्वासन सेवायें प्रदान करने में आधार की विशिष्ट विशेषताओं का अधिक से अधिक लाभ उठाने हेतु साई के सदस्यों के बीच रूचि जागृत करने का एक प्रयास है।

स्रोत:

- संघ सरकार बजट 2011-12
- भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की 2013 की प्रतिवेदन सं.13 एवं 2009-10 की प्रतिवेदन सं.8 (संघ सरकार का ग्रामीण विकास मंत्रालय)

भारत में जल प्रदूषण की निष्पादन लेखापरीक्षा

भारत में जल प्रदूषण की निष्पादन लेखापरीक्षा

श्री कार्तिकेय माथुर, आईएएएस

''प्रतिवर्ष युद्ध सहित सभी प्रकार की हिंसा की अपेक्षा अधिक लोग असुरक्षित जल के परिणामस्वरूप मरते हैं''

प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा, वैज्ञानिक विभाग के कार्यालय की स्थापना अप्रैल 1986 में कैबिनेट की विज्ञान सलाहकार समिति (एसएसीसी) की सिफारिश पर सरकार द्वारा सुझावों के अनुसार अपनी विशिष्ट विशेषताओं वाले वैज्ञानिक विभागों/निकायों/प्राधिकरणों की एकीकृत लेखापरीक्षा करने के लिए की गई थी।

इस कार्यालय को पर्यावरण लेखापरीक्षा से संबंधित गतिविधियों के लिए नोडल कार्यालय के रूप में दिसम्बर 2002 में नामित किया गया था। तब से अब तक इसने पर्यावरणीय पहलुओं जैसे गंगा कार्य योजना (2000), बाघ परियोजना (2006), अपशिष्ट प्रबंधन (2008) और जल प्रदूषण (2011) पर कई अखिल भारतीय समीक्षायें प्रकाशित किया है।

चूँकि पर्यावरण, लेखापरीक्षा का उभरता क्षेत्र था, हमने प्रमुख पर्यावरणीय मुद्दों की पहचान करने के लिए तथा साथ ही लेखापरीक्षा चिंताओं के लिए एक नवीन दृष्टिकोण का प्रयोग किया। जुलाई 2009 में, भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के कार्यालय ने भारत में प्रमुख पर्यावरणीय मुद्दों को इंगित करने के लिए तथा लेखापरीक्षा जांच हेतु महत्वपूर्ण क्षेत्रों की हचान के लिए जिसकी उस दौरान जांच की जा सकती थी, के लिए पर्यावरण लेखापरीक्षा पर एक सम्मेलन आयोजित किया। सिविल सोसाइटी संगठनों, पर्यावरण एवं वन विभाग तथा शहरी विकास मंत्रालयों, भारतीय मौसम विज्ञान के विशेषज्ञों और पर्यावरण क्षेत्र में कार्यरत प्रतिनिधियों/निगमित निकायों ने सम्मेलन में भाग लिया।

सम्मेलन से उभरी पर्यावरणीय चिंताओं के क्षेत्र थे:

- वन एव वन प्रबंधन, दलदली भूमि, मैनग्रोव आदि सहित जैविक विविधता।
- वायु प्रदूषण
- जल प्रदूषण

- अपशिष्ट प्रबंधन
- जलवायु परिवर्तन
- तटीय क्षेत्र प्रंबधन

सम्मेलन के दौरान दर्शाई गई विभिन्न चिंताओं के बीच लेखापरीक्षा परिप्रेक्ष्य से निम्नलिखित महत्वपूर्ण मुद्दे थे:

- पर्यावरणीय सततता, पर्यावरणीय संसाधनों के वितरण में समानता और पर्यावरणीय कार्यक्रमों की दक्षता।
- लेखापरीक्षाओं को कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के समवर्ती होनी चाहिए ताकि निष्पादन में सुधार हेतु इनपुट प्रदान किया जा सके।
- पर्यावरण की लेखापरीक्षा के साथ-साथ पर्यावरण से निपटने वाली एजेंसियों में सार्वजनिक सहभागिता/सार्वजनिक भागीदारी हेतु मानकों के प्रसार की आवश्यकता।
- सामाजिक लेखापरीक्षा पर जोर देने की आवश्यकता जहां लेखापरीक्षा प्रक्रिया में स्थानीय समुदायों की भागीदारी महत्वपूर्ण है।
- लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों को अधिक व्यापक प्रसार करने की आवश्यकता है।

चूँकि जल प्रदूषण पर्यावरणीय चिंता के एक महत्वपूर्ण क्षेत्र के रूप में उभरा है, हमने निष्पादन लेखापरीक्षा के विषय के रूप में इसका चयन किया। मामलों और जमीनी स्तर पर स्थिति के विश्लेषण और अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ प्राप्त करने के लिए पहचान मापदण्ड निर्धारित करने के लिए मार्च 2010 में जल प्रदूषण के बारे में पर्यावरणीय लेखापरीक्षा चिंताओं पर दो दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया था। इस सम्मेलन में विभिन्न सिविल सोसाइटी संगठनों, सरकारी एजेंसियों, अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों और विनियामक निकायों जैसे- झील संरक्षण समिति, अर्घ्यम, तरूण भारत संघ, वाट एड इंडिया, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, केंद्रीय सतही जल बोर्ड, जम्मू एवं कश्मीर झील एवं जलमार्ग विकास प्राधिकरण, अंतर्राष्ट्रीय संघ, प्रकृति संरक्षण, खाद्य एवं कृषि संगठन, जीटीजेड इत्यादि के सदस्यों ने भाग लिया। आस्ट्रिया, भूटान, मालदीव और बांग्लादेश के सर्वोच्च लेखापरीक्षा संस्थानों के प्रमुखों ने भी जल प्रदूषण से संबंधित अपनी चिंताये साझा की।

सम्मेलन में नदी, झील एवं जमीनी जल प्रदूषण से संबंधित महत्पूर्ण क्षेत्रों को इंगित किया गया। सम्मेलन के दौरान उठाए गए कुछ मुद्दे थे:

- इसके कार्यान्वयन से जुड़ी विभिन्न एजेंसियों के बीच संमवय एवं स्वामित्व का अभाव;
- सरकार के द्वारा देश में पर्यावरणीय कार्यक्रमों को दी गई न्यून बजटीय प्राथमिकता की समीक्षा करने की आवश्यकता;
- सरकारी कार्यक्रमों में वास्तविक द्योतक सार्वजनिक भागीदारी को मजबूत करने की आवश्यकता;
- संरक्षण हेतु कार्यक्रम बनाने के साथ जीविका के जल निकायों पर निर्भर नागरिकों की वास्तविक संख्या को एक दूसरे से जोड़ने की आवश्यकता;
- मौजूदा नगर आधारित दृष्टिकोण के विपरीत नदी प्रदूषण को कम करने के लिए व्यापक नदी बेसिन दृष्टिकोण की अनिवार्यता;
- झीलों में जल/प्रवाह की न्यूनतम मात्रा बनाए रखने तथा जल की गुणवत्ता के उपायों के अनुसार नाइट्रोजन एवं फास्फोरस हेतु मानक निर्धारित करने के लिए विधान बनाने की आवश्यकता;
- पर्यावरणीय लेखापरीक्षा के अपने अधिदेशों को आगे बढ़ाने तथा पर्यावरणीय लेखापरीक्षा के क्षेत्र में अधिक सक्रिय बनने की सर्वोच्च लेखापरीक्षा संस्थानों की प्रतिबद्धता।

तात्कालिक प्रदूषण की पर्यावरणीय चिंताओं की पहचान करने में स्थानीय समुदायों को जोड़ने की आवश्यकता और पर्यावरणीय स्थिति को कैसे अच्छा बनाए रखें और इसकी चिंताओं से निपटने के लिए सरकार अपने पहलों में कैसे सुधार करे, दोनों सम्मेलनों में जोर दिए जाने को ध्यान में रखते हुए हमने सामान्य लोगों द्वारा देखी जा रही जल प्रदूषण की समस्याओं के संबंध में उनसे सुझाव मांगते हुए पूरे भारत में विभिन्न राष्ट्रीय एवं स्थानीय समाचार पत्रों में विज्ञापन दिया। ई-मेल एवं पत्रों के माध्यम से 500 से अधिक प्रतिक्रियाएं प्राप्त हुई। ये इन सभी इनपुट से जल प्रदूषण पर निष्पादन लेखापरीक्षा (पीए) के लिए लेखापरीक्षा उद्देश्य, उप-उद्देश्य और प्रश्नावली बनाने में मदद मिली।

लोगों द्वारा उठाए गए कुछ मुद्दे इस प्रकार थे:

- शिक्षित शहरवासियों के बीच जागरूकता एवं कानून का कार्यान्वयन।

- जल निकायों की सुरक्षा हेतु केंद्र एवं राज्य दोनों स्तर पर अलग-अलग विभाग अनिवार्य रूप से बनाए जाएं। अतिक्रमण से जल निकायों को मुक्त करने में राजनीतिक हस्तक्षेप बंद किया जाए।
- बारिश के पानी का संग्रहण किया जाए।
- सफाई एवं शोधन के लिए कार्रवाई की आवश्यकता।
- सभी पंचायतों को अपशिष्ट फेंकने हेतु एक विशेष स्थान आबंटित किया जाना चाहिए। नदी के किनारे पार्कों का अनुरक्षण किया जाना चाहिए। नदी के निकट से सभी अपशिष्ट संयंत्रों को हटाने की कार्रवाई की जानी चाहिए।
- कार्य पूर्ण होने के पश्चात नलिकाओं के अनुरक्षण की जांच।
- राज्य प्रदूषण बोर्ड द्वारा मापदण्ड अभी भी स्पष्ट/निर्धारित किए जाने हैं। इस प्रकार बिन्दु स्रोत विश्लेषण, प्रदूषण कमी नीति का अनिवार्य भाग है। किसी खतरनाक रसायन पदार्थ होने के निर्धारण के प्रति शोध एवं विकास (आरएण्डडी) के प्रयासों को निर्देशित किया जाना चाहिए। हमारे द्वारा अभी भी अपनायी जाने वाली कुछ तकनीकों जैसे बीओडी और सीओडी को अद्यतित करने अथवा बदलने की आवश्यकता है। इस जांच को धीरे-धीरे मानकीकृत विषाक्तता माइक्रोटॉक्स द्वारा आगे बढ़ाया जाए।

पीडब्ल्यूडी/सिविल निकायों और सड़क निर्माण एजेंसियों द्वारा वर्षा जल संरक्षण हेतु निम्नलिखित कदम उठाए जाने चाहिए:

- सभी स्थानों पर सड़क चौड़ाई की बाहरी तरफ और शहरों में सड़क साइड की बर्म्स पर ढाल होनी चाहिए।
- वर्षा जल को साइड ड्रेन्स में न जाने दिया जाए, बल्कि इसे प्राकृतिक प्रक्रिया से जमीन में सोखने दिया जाए।
- सभी पेपर/प्लास्टिक/अपशिष्ट (जैसे- पत्थर, अनावश्यक दीवारें, पटरियों, जमीन के ऊपर से सीमेंट कार्य आदि) को हटाना/सुदूर स्थलों से कम प्रवाह के साथ जमीन में सीधे पानी आने देना।
- सभी पेड़ों को कम से कम दो फीट घुमावदार होना चाहिए। पेड़ अधिक मात्रा में और तेजी से जल सोखते हैं। इससे भूमिगत जल रीचार्ज होगा।

- पुनर्शोधित जल नदी में गिरने के बजाए इसकी अपनी चर्मशोधनशालाओं में प्रयोग किया जाना चाहिए। इस क्षेत्र के चारों ओर झीलों, तालाबों और टैंकों का कायाकल्प किया जाना चाहिए। चर्मशोधनशाला मालिकों, एनजीओ और सामान्य लोगों तथा सरकार सहित एक अधिकरण बनाया जाना चाहिए। अधिकरण द्वारा दिए गए संकल्पों को उनकी सिफारिशों के रूप में सरकार को भेजा जाना चाहिए।
- गहरे शोधकों को प्रदूषित होने से रोकने की प्राथमिकता दी जानी चाहिए। खोदे गए कुंओ के मामले में अशुद्ध करने वाले पदार्थों को एक तरफ किया जाए। बोरल के मामले में अवांछित अपशिष्टों से बचने के लिए एक समुचित ढक्कन का प्रयोग किया जाना चाहिए/ खोदे गए कुओं या बोर वेल में यदि सीधे सतह जल/रिचार्च जल प्रदूषित होता है तो परिशोधन द्वारा इसकी सुरक्षा की जानी चाहिए। गहरे शोधनों अथवा जल संग्रहण क्षेत्रों से खारे पाने को उच्च भूमि क्षेत्रों पर ले जाया जाए और फेंक दिया जाए या उपयोग किया जाए। इससे खारापन घटेगा और उच्च स्थल क्षेत्र रीचार्ज होंगे तथा फसल उत्पादन में मदद मिलेगी।
- पेयजल स्रोतों की जांच के लिए मिट्टी के गड्ढों (प्रभावी आकार 0.2 एमएम या कम) को खुले कुओं से न्यूनतम 3 मीटर की दूरी पर होना चाहिए। सतही जल तालिका मे प्रदान किए गए हैंडपम्म पूरे वर्ष खुदे गड्ढों से 2 मीटर या उससे नीचे हों, यदि जल तालिका उच्च हो तो दूरी को 10 मीटर तक बढ़ाया जा सकता है। खुरदरी मिट्टियों में (प्रभावी आकार 0.2 मिमी से अधिक) पिट के चारों और 500 मिमी मोटी बालू की 0.2 मिमी परत प्रदान करते हुए और कुछ मजबूत पदार्थों जैसे- मिट्टी के गारे, पॉलीथीन शीट, पतली सीमेंट या सीमेंट वाली मिट्टी के साथ गड्ढे की सतह को सील किया जाए। सामान्यता समरूप मृदा में क्षैतिज रूप से 3 मीटर और उर्ध्वाधर रूप में 2 मीटर तक जीवाणु नहीं जा पाते हैं, हालांकि मिट्टी के प्रकार और संघनन के आधार पर थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है।
- जब तक बीओडी वापस ''ऋणात्मक'' मानक तक नहीं पा लिया जाता तब तक प्रतिदिन कुछ राशि की प्रदूषण शास्ति लगाई जाए। सभी इकाईयों में अंतर्राष्ट्रीय मानक के अनुसार भूजल स्तर निगरानी प्रणाली होनी चाहिए। उनके पास कुओं की निगरानी होनी चाहिए और भूजल विश्लेषण परिणाम होने चाहिए।

- उद्योगों द्वारा चैक डेम का निर्माण अपने निकासी स्थल पर किया जाना चाहिए। उद्योग के सीवेज के पर्याप्त उपचार के उपरान्त नदी में निकासी की जानी चाहिए। अपर्याप्त भंडारण प्रणाली की अनुपलब्धता के कारण प्रत्येक मानसून में पानी की भारी मात्रा का नुकसान होता है।
- फैक्ट्रियों के कारण जल प्रदूषण को शासित करने वाले नियमों को सख्ती से लागू किया जाना चाहिए। सीवेज के पानी को तालाबों और नदियों में डालने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। संबंधित निकायों और एनजीओज़ द्वारा अपने इलाकों में झीलों और नदियों को साफ करने के लिए तुरन्त कार्रवाई की जानी चाहिए और जनता के लिए अधिक शौचालयों का निर्माण करना चाहिए। जल स्त्रोतों के पास झुग्गी झोंपड़ियों, घरों इत्यादि के निर्माण से बचने के लिए योजना की आवश्यकता है ताकि उनके निवासियों को कचरे के निर्गम के लिए आसान तरीकों का प्रलोभन समाप्त हो सके। मरे हुए जानवरों और पक्षियों को समुद्र, नदियों इत्यादि में फेंकने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

पणधारियों के साथ विभिन्न मुलाकातों के दौरान प्राप्त इनपुटों की मदद से हमने लेखापरीक्षा जांच और लेखापरीक्षा प्रश्नों के क्षेत्रों को विकसित किया। लेखापरीक्षा प्रणाली में दस्तावेज विश्लेषण, प्रश्नों पर प्रतिक्रियाएं शामिल होती है; विभिन्न स्तरों पर रिपोर्टों और रिकार्डों की जांच ताकि लेखापरीक्षा साक्ष्य एकत्रित किए जा सकें और 2010-11 के दौरान भारत में जल प्रदूषण पर निष्पादन लेखापरीक्षा की गई थी।

निष्पादन लेखापरीक्षा के लिए मापदण्ड निर्धारित करने के लिए एक नवीन दृष्टिकोण और दृष्टिकोण के सहायक स्त्रोंतों जैसे कुछ गैर परम्परागत स्त्रोतों का उपयोग किया गया था, इनमें निम्न शामिल थेः

- जून 1992 में रीयो में हुए पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के सतत विकास पर विश्व कमिशन के कार्यसूची 21 दस्तावेज,
- जल प्रदूषण पर संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (यूएनईपी) के दिशानिर्देश।

यह मानदण्ड इसलिए अपनाए गए थे क्योंकि बायो मानीटरिंग नदियों और झीलों के प्रदूषण के नान प्वाइंट स्त्रोतों पर कोई मानक नहीं थे।

जल निकाय की वांछित गुणवत्ता के लिए मानक निर्धारित करने के लिए यह ध्यान में रखा गया कि उस जल निकाय में जल के उपयोग की पहचान अनिवार्य है। भारत में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने नामित बेहतर उपयोग की धारणा विकसित की थी। पांच नामित उपयोगों की पहचान की गईः

- परम्परागत उपचार के बिना किन्तु रोगाणुनाशन के बाद पीने के पानी का स्त्रोत
- बाहर स्नान (संगठित)
- परम्परागत उपचार और रोगाणुनाशन के बाद पीने के पानी का स्त्रोत
- वन्य जीवन और मत्स्य पालन का प्रसारण
- सिंचाई, औद्योगिक शीतलन, नियंत्रित अपशिष्ट निपटान

इस वर्गीकरण से जल गुणवत्ता प्रबंधको और योजनाकारों को जल गुणवत्ता लक्ष्य और विभिन्न जल निकायों हेतु उचित पुनः स्थापन कार्यक्रमों के डिजाइन निर्धारित करने में मदद मिलती है।

लेखापरीक्षा नियोजन के लिए आवश्यक समय आवंटित करने में एक सचेत निर्णय लिया गया था जो निष्पादन लेखापरीक्षा (पीए) में सामान्य नहीं है। अतः छः महीने लेखापरीक्षा नियोजन और छः महीने क्षेत्रीय लेखापरीक्षा के लिए आवंटित किए गए थे।

30 जुलाई 2010 को पर्यावरण एवं वन मंत्रालय (एमओईएफ) के साथ एक एन्ट्री कान्फ्रेंस की गई थी जिसमें लेखापरीक्षा उद्देश्य, लेखापरीक्षा कार्यक्षेत्र, लेखापरीक्षा मानदण्ड और लेखापरीक्षा कार्यप्रणाली की चर्चा की गई थी। 6 जून 2011 को एमओईएफ के साथ एग्जिट कान्फ्रेंस की गई थी जिसमें लेखापरीक्षा निष्कर्षों की चर्चा की गई थी।

केन्द्र में, लेखापरीक्षा कार्यक्षेत्र ने एमओईएफ/एमओडब्ल्यूआर में नदियों, झील और भूजल के प्रदूषण के नियंत्रण के लिए कार्यक्रम और योजनाओं को कवर किया। यह एनआरसीडी की कार्यप्रणाली उसकी 2006-07 और 2010-11 की अवधि से संबंधित नदी, झील और भूजल प्रदूषण से संबंधित सीपीसीबी/सीजीडब्ल्यूजी की कार्यान्वयन/मानीटरिंग और मानीटरिंग गतिविधियों की योजना में भूमिका भी कवर करना है। उन्हें दिए गए उत्तरदायित्वों के प्रकाश में जल गुणवत्ता निर्धारण प्राधिकरण (डब्ल्यूक्यूएए) के अभिलेखों की भी जांच की गई थी।

राज्यों में, लेखापरीक्षा कार्यक्षेत्र ने नदियों, झीलों, भूजल प्रदूषण से संबंधित डाटा की पर्याप्तता को कवर किया। यह नामित एजेंसियों द्वारा नदियों और झीलों के प्रदूषण के नियंत्रण के लिए कार्यक्रम के कार्यान्वयन और मानीटरिंग (एनआरसीपी और एनएलसीपी) के अध्ययन तक विस्तारित था। राज्यों से संबंधित लेखापरीक्षा कार्य प्रणाली ने भी भूजल के प्रदूषण के नियंत्रण के लिए योजनाओं के कार्यान्वयन और मानीटरिंग, यदि कोई हो तो, को भी कवर किया। इसके लिए हमने 2006-07 से 2010-11 की अवधि के लिए राज्य सरकारों, कार्यान्वयन एजोंसियों (मुख्य रूप से नगर निगमों और झील विकास प्राधिकरियों), राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और राज्य में डब्ल्यूक्यूआरसी के अभिलेखों की नमूना जांच की।

समीक्षा यह जानने के लिए की गई किः

- जल स्त्रोतों की सूची तैयार की गई और क्या नदियों, झीलों और भूमिगत जल में जल की गुणवत्ता की समग्र स्थिति का भारत में पर्याप्त रूप में आकंलन किया गया,
- जीव जन्तुओं के स्वास्थ्य पर प्रदूषित जल के जोखिम और पर्यावरण के प्रभाव को पर्याप्त रूप से आंकलित किया गया है;
- पर्याप्त नीतियां, कानून और कार्यक्रमों का गठन किया गया है और प्रदूषण की रोकथाम, उपचार और नदियों, झीलों और भूमिगत जल के नवीनीकरण के लिए प्रभावी संस्थाएं बनाई गई है;

- प्रदूषण की रोकथाम, उपचार के लिए कार्यक्रम और नदियों, झीलों और भूमिगत जल में प्रदूषण के नवीकरण की योजना, कार्यान्वयन और मानीटरिंग प्रभावी और दक्षतापूर्वक किया जा रहा है;
- जल प्रदूषण की कमी के लक्ष्य हेतु निधियों को आगे प्रभावी और मितव्ययी तरीके से उपयोग किया गया था;
- सरकार द्वारा जल प्रदूषण से निपटने के उपायों को बनाए रखने के लिए पर्याप्त तंत्र बनाए गए है।
- प्रदूषण नियंत्रण के लिए कार्यक्रमों से भूमिगत जल और सतही जल में प्रदूषण का स्तर कम करने और जल गुणवत्ता बनाए रखने में सफलता मिली है।

हमने व्यय, प्रदूषण नियंत्रण के परियोजना के महत्व और समाचार पत्रों में दिए गए विज्ञापनों पर जनता के फीडबैक प्राप्त करने जैसे जोखिमों के निर्धारण के आधार पर लेखापरीक्षा नमूने का चयन किया था।

- 19 राज्यों में 24 नदियों के प्रदूषण नियंत्रण के लिए कार्यान्वित 1079 परियोजनाओं में से हमने 24 नदियों के प्रदूषण नियंत्रण के लिए कार्यान्वित 140 परियोजनाओं की संवीक्षा की।
- 14 राज्यों में 5.8 झीलों के संरक्षण के लिए परियोजनाओं में से हमने 14 राज्यों में झीलों के संरक्षण के लिए 22 परियोजनाओं का अध्ययन किया।
- भारत में कुल 6053 ब्लाकों में से हमने भूमिगत जल प्रदूषण से संबंधित कार्यान्वयन और मानीटरिंग के लिए 116 ब्लाकों की जांच की।
- लेखापरीक्षा ने भारत में 25 राज्यों में जल प्रदूषण से संबंधित प्रशासनिक संरचनाओं और गतिविधियों का भी अध्ययन किया।

एमओईएफ को हमारी निम्न सिफारिशें थीः

- एमओईएफ/राज्यों को जल प्रदूषण पर एक स्पष्ट नीति बनाने की आवश्यकता है जो जल प्रदूषण के बचाव और नियंत्रण के साथ साथ विकृत जल निकायों के पारिस्थितिक उद्धार को ध्यान में रखे।
- एमओईएफ/सीपीसीबी को जल संसाधन मंत्रालय और सभी राज्यों के साथ मिल कर कदम उठाने चाहिए ताकि भारत में सभी नदियों, झीलों और भूमिगत जल स्त्रोतों की व्यापक सूची बनाई जा सके। उसे भारत में प्रत्येक नदी और झील से संबंधित सभी मुख्य प्रजातियों का सर्वेक्षण कर सूची भी बनानी चाहिए। इसे भी पब्लिक डोमेन में रखा जाना चाहिए।
- एमओईएफ/सीपीसीबी को जैविक संकेतकों को विकसित करने के लिए प्रयास तेज करने चाहिए जो इस बात पर प्रकाश डालेंगे कि क्या जलीय परिस्थिति तंत्र की कार्यात्मक अखंडता सुनिश्चित की गई है।
- एमओईएफ को देश में सभी नदियों और झीलों में प्रदूषण को कम करने के लिए योजना बनाते समय बेसिन दृष्टिकोण को ध्यान में रखना चाहिए।
- झीलों के संबंध में, सभी तीनों कारण अर्थात, केवल जल निकाय पर एनएलसीपी के मौजूदा केन्द्र के बजाय कमांड क्षेत्र को संरक्षित करने की आवश्यकता है।
- एमओईएफ को झीलों, नदियों और भूमिगत जल के लिए लागू करने योग्य जल गुणवत्ता मानकों को स्थापित करने की आवश्यकता है जो मानव और पारिस्थिति के स्वास्थ्य की सुरक्षा करने में मदद करेगा। जल गुणवत्ता मानकों के उल्लंघन के लिए दंड लगाने की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त, कृषि मंत्रालय के साथ संयोजन में एमओईएफ को नाइट्रोजन, फोसफोरस इत्यादि जैसे प्रदूषकों के लिए

मानक विकसित करने की आवश्यकता है जो, कृषि कार्यों, कीटनाशकों और उर्वरकों के उपयोग से प्रदूषण के रूप में होते हैं जो कृषि स्त्रोतों से प्रदूषण के एक गैर बिन्दू स्त्रोत का सबसे बडा स्त्रोत है।

- जवाहर लाल नेहरू नेशनल अरबन रिन्यूवेबल मिशन कुछ समान राज्यों में सीवरेज परियोजनाओं का निधियन पहले ही कर रहे है जहां समान उद्देश्य के लिए एमओईएफ द्वारा निधियां प्रदान की जा रही है। इसे परियोजनाओं पर केन्द्रित करने की आवश्यकता है जो मुख्य रूप से सीवेज के उपचार पर केन्द्रित होने के बजाय नदियों के पुनरूद्धार और संरक्षण पर केन्द्रित थी। एमओईएफ/राज्यों को ऐसे कार्यक्रमों को प्रारंभ करना होगा जो नदियों, झीलों और भूमिगत जल में बहने वाले प्रदूषण के विभिन्न स्त्रोतों को सम्बोधित करता है जिसका केन्द्र केवल प्रदूषण से बचाव न हो किन्तु हमारे जल निकायों का संरक्षण और पर्यावरणीय पुररूद्धार भी हो।
- अभी वर्तमान में नदी और झील संरक्षण में योजना से कार्यान्वयन और मानीटरिंग में कई एजेंसियॉ शामिल हैं। इन सभी कार्यों के बेहतर समन्वय और जवाबदेहिता को समेकित करने की आवश्यकता है।
- शहरी विकास मंत्रालय (एमओयूडी) के संयोजन से एमओईएफ और राज्यों को यादृच्छिक एसटीपी और आई एवं डी के छोटे छोटे अनुमोदनों के बजाय पूरे शहर के लिए ड्रेनेज की योजना बनानी चाहिए। इसके अतिरिक्त, इन परियोजनाओं के लिए निधियन एमओयूडी के नियंत्रण के तहत एमओयूडी से कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में आने चाहिए। एमओईएफ डिजाइन स्तर पर शामिल और अपशिष्ट, यदि वह नदी में छोडे जा रहे हों, की मानीटरिंग की जानी चाहिए।

- एमओईएफ/राज्यों को सुनिश्चित करना चाहिए कि झीलों में गिरने वाले सभी प्रकार के प्रदूषकों के स्त्रोतों के नियंत्रण के लिए परियोजनाएं, झीलों के संरक्षण और पुनरूद्धार की परियोजनाओं में शामिल हैं विशेष रूप से सीवेज और कृषि अपशिष्ट जिसमें झील के पोषण में भारी भार पडता है।
- एमओईएफ को सुनिश्चित करना चाहिए कि वह सभी झीले जिनमें अतिक्रमण हो रहा है और परिणामी भराई एनएलसीपी में शामिल है। इसके अलावा, सभी राज्य सरकारों को झीलों के किनारों को जैव संरक्षण जोन घोषित करना चाहिए ताकि किनारों के अतिक्रमण से बचा जा सके।
- केन्द्र स्तर के जल गुणवत्ता निर्धारण प्राधिकरण और राज्य में जल गुणवत्ता समीक्षा समिति को पुनर्गठित और सुदृढ़ बनाया जाना चाहिए ताकि यह जल प्रदूषण मामलों के लिए क्रास सेक्टोरल नोडल निकाय के रूप में कार्य कर सके।
- राज्यों को नदी और झीलों के प्रदूषण नियंत्रण के प्रस्तावों और मानीटरिंग कार्यक्रमों में नागरिकों को शामिल करना चाहिए। इससे प्रस्तावित सिविल परियोजनाओं के लिए सिविल समाज से समर्थन मिलने में मदद मिलेगी और इस प्रकार स्थानीय लोगो के कम विरोध का सामना करेगी। अधिक प्रभावी कार्यान्वयन के लिए फीडबैक प्रदान करने के लिए नागरिक मानीटरिंग समिति और स्थानीय स्तर झील मानीटरिंग समितियों के गठन की आवश्यकता है।
- राज्यों के साथ सामंजस्य से एमओईएफ/सीपीसीबी को हमारी नदियों और झीलों में प्रदूषण के स्तर का शहर-वार निर्धारण करना चाहिए। उन्हें एमओईएफ/सीपीसीबी द्वारा विकसित पूर्व-परिभाषित संकेतकों की शर्तों में एनआरसीपी के अन्तर्गत की गई परियोजनाओं की सफलता का मूल्यांकन भी करना चाहिए। ऐसा प्रभावी

निर्धारण निरंतर तरीके से किया जाना चाहिए ताकि डाटा का सृजन यह निर्धारित करने के लिए किया जा सके कि क्या कार्यक्रम अपने कथित उद्देश्य को पूरा कर रहा है।

निष्पादन समीक्षा के लिए हमने एमओईएफ, एमओडब्ल्यूआई सीपीसीबी, सीजीडब्ल्यूबी से लिखित उत्तर प्राप्त किए। ऐसा मामला जिस पर पीए समकक्ष समीक्षा ने भी बोला/ताकि कार्यान्वयन के लिए लेखापरीक्षा रिपोर्ट में दी गई सिफारिशों/आपत्तियों पर विचार किया जा सके। एमओईएफ ने एक समिति का गठन किया जिसने 'भारत में जल प्रदूषण' (मार्च 2012) पर प्रबन्धन के लिए एक रोड मैप बनाया जिसमें नीति संरचना, पर सिफारिशें, एमओईएफ के कार्यक्रम/गतिविधियां, संरचनात्मक ढांचा, मानीटरिंग पहलू और भारत में जल प्रदूषण से बचाव पर बेहतर नियंत्रण के लिए वित्तीय प्रबन्धन पर उसकी सिफारिशें थी। 17 जुलाई 2012 को हुई पीएसी ने अपनी बैंठक में भी लेखापरीक्षा प्रतिवेदन पर चर्चा की थी।

पीएसी ने मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ जल प्रदूषण के मामले पर लम्बी चर्चा की। एमओईएफ के मौखिक साक्ष्य एकत्र करने के बाद पीएसी ने विभिन्न मामलों पर एमओईएफ को एक व्यापक प्रश्नावली जारी की जैसे जल निकायों के प्रदूषण में कानूनी ढांचे की पर्याप्तता को जुर्म के रूप में मानना, जल प्रदूषण से संबंधित चिन्ताओं के प्रबन्धन के लिए विभिन्न पणधारकों का एकीकृत दृष्टिकोण, जल प्रदूषण मामलों को संचालित करने में अपने संसाधनों को मजबूत करने के लिए एमआईएफ द्वारा किए गए उपाय इत्यादि। मंत्रालय ने प्रश्नावली पर अपनी प्रतिक्रिया प्रस्तुत की है जो लेखापरीक्षा द्वारा पैटिंग के अधीन है।

पेंशन में नवीकरण

श्री वी. रवीन्द्रन, आईएएंडएएस

सुश्री प्रवीन मेहता, आईएएंडएएस

प्रस्तावना

नियंत्रक महालेखापरीक्षक 19 राज्य सरकारों की ओर से पेंशन प्राधिकृत करने के लिए उत्तरदायी है। यह अधिदेश पुराना है जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 से निकला है जो बताता है कि सीएजी ऐसे कर्त्तव्यों को निष्पादित करता रहेगा और संघ और राज्यों के लेखों से संबंधित ऐसी शक्तियों का उपयोग करता रहेगा जैसा कि संघ के कानून से पूर्व महालेखाकार द्वारा निष्पादित किया जाता था जब तब उसे उस शक्ति से मुक्त न किया जाए। जबकि कुछ दशकों से कुछ राज्य सरकारों ने सीएजी को पेंशन अधिकार कार्यों से वंचित कर दिया है कुछ अन्यों ने सीएजी के अधीन लेखा और हकदारी (ए एवं ई) कार्यालयों द्वारा उनकी प्राधिकृत पेंशन के योग्य व्यक्तियों के अतिरिक्त वर्गों को सौंपा है। लगभग सभी राज्य सरकारों ने 2004 के बाद नई पेंशन योजना को अपनाया है जिसके पश्चात महत्वपूर्ण तिथि के बाद भर्ती कार्मिक महालेखाकार द्वारा प्राधिकृत पेंशन के योग्य नहीं होगें।

महालेखाकार द्वारा प्राधिकृत पेंशन ऐसी सेवा है जो सेवानिवृत/सेवानिवृत होने वाले सरकारी कर्मचारियों को दी जाती है। ऐसी सेवा आवश्यक रूप से महालेखाकार के संगठन के अन्दर सेवा मनोभाव की शिक्षा देती है। पेंशनरों के संबंध में महालेखाकार का मिशन कथन प्राधिकृत पेंशन को विशिष्ट समय सीमा में पूर्ण आकार में कार्यालय में पहुंचने तक ही सीमित नहीं होना चाहिए। महालेखाकार को एक अधिक अग्रसक्रिय भूमिका अपनानी चाहिए, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि पेंशन अधिकार पत्र सही और पूर्ण और समय पर है जिससे सभी सेवानिवृत होने वाले राज्य सरकार के कर्मचारी अपनी सेवानिवृत्त्ति की तिथि तक अपना पेंशन अधिकार पत्र प्राप्त कर लें। प्रधान महालेखाकार (ए एवं ई) आंध्र प्रदेश के कार्यालय के मामले का अध्ययन इस दिशा में एक कदम है।

आन्ध्र प्रदेश में पेंशन अधिकार पत्रों में नवीनता एक अध्ययनः

प्रधान महालेखाकार (ए एवं ई) आन्ध्र प्रदेश, हैदराबाद का कार्यालय वार्षिक रूप से लगभग 25,000 पेंशन मामले संसाधित करता है। कई वर्षो से सेवानिवृत्त्ति, मृत्यु और प्रतिस्थापन के बिना अनिवार्य स्थायी स्थानांतरण के कारण भर्ती पर रोक और स्टाफ की कमी से गुणवत्ता

और आउटपुट पर काफी प्रभाव पड़ा। इस अवांछनीय रूझान के विरूद्ध, जनवरी 2010 से कार्यालय प्रगतिशील रूप से पेंशन ग्रुप में कई क्रमिक सरंचनात्मक परिवर्तन प्रारंभ कर रहा है। इन परिवर्तनों से न केवल कार्यालय को कमी रोकने में मदद मिली, इससे कई लाभकारी वर्षों में मानक निर्धारित करने में सुधार हेतु मदद मिली है। इसके परिणामस्वरूप उपभोक्ता संतुष्टि में प्रत्यक्ष वृद्धि हुई है जैसा पेंशनरों के सहज फीडबैक से स्पष्ट है।

गुणवत्ता नियंत्रण क्रम सतत रूप से प्राधिकार के आवेदन से प्रेषण की स्थिति और भविष्य के संदर्भ और उपयोग के लिए पुराने रिकार्डों के मामले की फाइल के हस्तांतरण तक पुर्न संगठन की प्रक्रिया में चलता है। एक और विचारणीय प्रकृति है पेंशन भोगी को लगातार फीडबैक देना ताकि वह पेंशन आवेदन में त्रुटियों में सुधार कर सकेगा और उसके मामले के प्रक्रमण के स्तर की उसे सूचना मिलती रहेगी।

नवीनता # 1

समय पर (जेआईटी) प्रबंधन

डाटाबेस का एकीकरण ताकि महालेखाकार को सरकारी कर्मचारी की आने वाली सेवानिवृति का पता हो।

महालेखाकार अपने कार्यालय के निम्नलिखित डाटाबेस के साथ पेंशन डाटाबेस को एकीकृत करता हैः

- वीएलसी (वाउचर स्तर कम्पयूटरीकरण) डाटाबेस, जिसमें राजकोष डाटाबेस से डाउनलोडड इलैक्ट्रानिक सूचना और प्रत्यक्ष वाउचरों की इन हाऊस जांच द्वारा वैधता वाले हो।
- सामान्य भविष्य निधि (जीपीएफ) डाटाबेस जिसमें व्यक्तिगत अंशादाता खाते में डेबिट और क्रेडिट होते हैं।
- दीर्घावधि अग्रिमों का डाटाबेस (ग्रह निर्माण, मोटरकार, मोटर साइकिल और पसर्नल कम्पयूटर) जिसमें सरकारी कर्मचारियों द्वारा लिए गए अग्रिमों और उनके पुनर्भुगतान हों।

चूंकि इन डाटाबेस में शामिल कुल सूचना, जैसे सरकारी कर्मचारी का नाम, कर्मचारी आईडी, जन्मतिथि, और विभाग का नाम सामान्य है, डाटाबेस एकीकरण सुविधाओं और सरकारी कर्मचारी के सेवानिवृती हकदारियों के अनुभाग द्वारा तुरन्त प्रारंभ और संसाधन और अधिक भुगतानों की वसूली सक्षम बनाना इत्यादि।

इसके अतिरिक्त, महालेखाकार राज्य सरकार के मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली (एचआरएमएस) से भी एकीकृत होता है जो विभाग और राजकोष द्वारा प्रयोग होता है ताकि बिलों को तैयार और पास किया जा सके।

निम्नलिखित अतिरिक्त पहले भी महालेखाकार को उसके डाटाबेस में सूचना पूरी करने में मदद करती हैः

- महालेखाकार ने हाल ही में सुनिश्चित किया कि राजकोष मार्च के वाऊचरों में कर्मचारी का आईडी विवरण अनिवार्य रूप से शामिल करें। यह एचआरएमएस में अन्तरालों को पूरा करता है।
- महालेखाकार की वेबसाइट जिसमें जीपीएफ के वार्षिक विवरण और दीर्घावधि अग्रिम होते हैं को तभी देखा जा सकता है जब सरकारी कर्मचारी अपना कर्मचारी आईडी, जन्मतिथि, ईमेल एडरेस और मोबाइल नम्बर एंटर करेगा।

नवीनता # 2

आनलाइन आवेदन फार्म

महालेखाकार की वेबसाइट सेवानिवृत होने वाले कर्मचारियों को पेंशन और जीपीएफ के लिए आनलाइन एक्सेस प्रदान करता है। इसके निम्नलिखित लाभ हैः

- पेंशन और जीपीएफ दोनों के लिए सामान्य फील्डों को स्वतः भरने के द्वारा (जैसे कर्मचारी आईडी, नाम, जन्म तिथि, विभाग, पत्राचार हेतु पता इत्यादि) आनलाइन फार्म पेंशनर, विभाग और म.ले. कार्यालय के लिए डाटाएन्ट्री प्रयास से बचाता है।
- संयुक्त फोटोग्राफ और पेंशनभोगी और उसके पति/पत्नी के हस्ताक्षर (पेंशन का भुगतान करते समय राजकोष द्वारा अपेक्षित विवरणात्मक रोल का भाग) को अब

आवेदन के साथ इलैक्ट्रानिक रूप से अपलोड किया जा सकता है। महालेखाकार फोटोग्राफ पेंशनर की पहचान के सत्यापन के लिए खजाने के रोल में विवरणात्मक रूप से भेजने के साथ और स्केनड हस्ताक्षर को पेंशन अधिकार पत्र में रंगीन प्रिंट कर सकता है,

- सामान्य पेंशन-जीपीएफ आवेदन फार्म को पृथक पेंशन और जीपीएफ फार्म के रूप में प्रिंट किया जा सकता है जिन्हें म.ले कार्यालय के संबंधित विंगों द्‍वारा संसाधित किया जाता है।
- प्रिंट किए गए फार्मों को हस्ताक्षर और विभाग को प्रस्तुत किया जा सकता है, जो या तोः

  (क)इलैक्ट्रानिक फार्म को एक्सेस कर सकते हैं (निदेशक राजकोष और लेखा (डीटीए) द्‍वारा आवंटित कर्मचारी आईडी प्रयोग कर जो आवेदन में प्रिंट किया जाएगा) विभाग से संबंधित भाग को इलैक्ट्रानिक रूप से भरने; और कार्यालय मोहर लगाने और हस्ताक्षर के लिए पूरे फार्म को प्रिंट करना।

  (ख) प्रिंटड फार्म में आवश्यक प्रविष्टियां करना, हाथ से गणना करना और फिर हस्ताक्षर करना और फार्म पर कार्यालय की मुहर लगाना।

- कर्मचारी की आईडी को बाद में पेंशनभोगी द्‍वारा प्रयोग किया जा सकता है ताकि वह म.ले कार्यालय में अपने मामले की प्रगति को ट्रेक कर सके। वह म.ले को प्रस्तुती में विलम्ब के मामले में पेंशन संस्वीकृति प्राधिकारी (पीएसए) के साथ भी मामला आगे बढा सकता है।

- म. ले के डाटाबेस से प्रिंटड आवेदन फार्म सुनिश्चित करते है कि फार्म में मानकीकृत सूचना है और वह एक समान आकार के है, जिससे प्रोसेसिंग सरल और परिणामी भंडारण होता है।
- चूंकि वेबसाइट सक्रिय रूप से महालेखाकार के डाटाबेस से जुडी रहती है, आनलाइन फार्म में टाइप की गई सूचना को म.ले के अनंतिम डाटाबेस पर तुरन्त पाया जा सकता है। म. ले कार्यालय में कई विभाग भी इलैक्ट्रानिक रूप से सचेत है, उदाहरण के लिए, ओल्ड रिकार्ड अनुभाग वास्तविक पेंशन फाइलों की प्राप्ति के लिए सचेत है (उस मामले में यदि पेंशनधारी पेंशन के संशोधन के लिए आवेदन कर रहा है); और जीपीएफ और दीर्धावधि अग्रिम अनुभाग गुम हुए क्रेडिट और डेबिट के लिए खातों के सत्यापन के लिए सचेत होते हैं और हस्ताक्षरित आवेदन फार्मों की प्राप्ति पर तुरन्त लेखों की तुरन्त समाप्ति के लिए कार्रवाई करते है और उस मामले में यदि, जीपीएफ के गुम क्रेडिट और अधिक भुगतान का मिलान नहीं किया जा सका, ताकि उपदान से वसूली के लिए पेंशन डाटाबेस का एलर्ट किया जा सके।
- म. ले की वेबसाइट के साथ उसके डाटाबेस का सक्रिय रूप से सम्बंध सुनिश्चित करता है। एक बार हस्ताक्षरित पेंशन आवेदन म. ले कार्यालय में पहुंच जाए तो उसे म. ले के अन्तरिम डाटाबेस पर उपलब्ध आवेदन की इलैक्ट्रानिक कापी के प्रति सत्यापित किया जा सकता है और अन्ततः यह न्यूनतम डाटा प्रविष्टि के साथ मिल जाता है।

नवीनता # 3

सत्य का एकल स्त्रोत

यह सुनिश्चित करना कि पूरी कडी में डाटा प्रविष्टि एक से अधिक बार नहीं हुई हैं।

- यह सभी बाहरी (राजकोष) और आन्तरिक (महालेखाकार) के डाटाबेस को जहां तक संभव हो इकट्ठा कर सुनिश्चित किया जाता है। राज्य सरकार एक व्यापक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (सीएफएमएस) प्रारंभ कर रही है जो राज्य सरकार के डाटाबेस को महालेखाकार और भारतीय रिजर्व बैंक के सुसंगत डाटाबेस से जोडेगा।
- डाटाबेस के एकीकरण सुनिश्चित करता है कि यदि पेंशानधारक या विभाग आनलाइन वेब एप्लीकेशन प्रक्रिया का प्रयोग करते हैं, तो आवक (डाक) अनुभाग, आवक (पेंशन) या आवक (जीपीएफ) अनुभाग, संबंधित पेंशन अनुभाग का अनुभाग प्रमुख, पेंशन प्राधिकृत करने वाला लेखा अधिकारी, ईडीपी (पेंशन) अनुभाग, ओल्ड रिकार्ड अनुभाग और जावक प्रेषण अनुभाग अपनी कम्पयूटर स्क्रीन को स्वतः ही अद्यतित कर सकते हैं और एक चैक बाक्स या न्यूनतम डाटा प्रविष्टि के माध्यम से सत्यापन कर सकते है।

नवीनता # 4

जवाबदेहिता स्तरों को एक जांच स्तर और एक सत्यापन स्तर के साथ स्थापित किया गया है। इसे उचित चैक लिस्टों के माध्यम से सुदृढ किया गया है।

जवाबदेहिता स्तरः

- आवक (डाक) अनुभाग के अनुभाग प्रमुख ही अपने अनुभाग द्वारा सिस्टम में प्रविष्ट सभी डाटा के लिए जवाबदेह हैं।
- आवक (पेंशन) अनुभाग के अनुभाग प्रमुख ही अपने अनुभाग में सभी डाटा प्रविष्ट और लिए गए संसाधन कार्य के लिए जवाबदेह हैं।
- पेंशन अनुभाग के अनुभाग प्रमुख ही सिस्टम में सभी डाटा प्रविष्टि और गणनाओं, पूर्ण और सामयिक तरीके से अनुभाग से लेखा अधिकारी को भेजने के लिए जवाबदेह हैं।

- ईडीपी (पेंशन) अनुभाग के पेंशन प्रमुख ही यह सुनिश्चित करने के लिए जवाबदेह है कि लेखा अधिकारी द्वारा अनुमोदित अधिकार पत्र सही प्रकार से प्रिंट किए गए और लेखाअधिकारी को भेजे गए हैं।
- लेखा अधिकारी अपने प्रभार के अन्तर्गत एफ सिस्टम सृजित चैकलिस्ट का प्रयोग कर पेंशन अनुभाग के अनुभाग प्रमुख के कार्य के सत्यापन; उसके साथ नियुक्त बहुल कार्यस्टाफ (एमटीएस) के निष्पादन की मानीटरिंग, अधिकार पत्रों की राजकोष प्रतियों पर हस्ताक्षर और यह सुनिश्चित करने के लिए जवाबदेह है कि संलग्नकों सहित अनुमोदित अधिकार पत्र जावक (प्रेषण) अनुभाग को और संबंधित पेंशन अनुभाग को उचित तरीके से भेजे गए हैं।
- एमटीएस को अधिकार पत्रों की राजकोषीय प्रतियों के साथ डीआर और विभागीय प्रति के साथ एसबी संलग्न करना राजकोषीय प्रतियों पर लेखा अधिकारी के हस्ताक्षर लेने और जावक अनुभाग में प्रिंट देना, ईडीपी (पूर्ण रूप से जारी/आंशिक रूप से जारी/वीआर जारी) द्वारा दी गई सूची के अनुसार मामले क्रमबद्ध करने, ओल्ड रिकार्ड अनुभाग को पूर्ण मामले भेजने और मामले जिन पर कार्रवाई अभी अधूरी है को पेंशन लाइब्रेरी भेजना अपेक्षित है।
- जावक (डिस्पेच) का अनुभाग प्रमुख यह सुनिश्चित करने के लिए जवाबदेह है कि अनुमोदित अधिकार पत्रों को संबंधित संलग्न से सही तरीके से जोडा गया है और कि लेखा अधिकारी ने राजकोषीय प्रतियों इत्यादि पर उचित स्थान पर हस्ताक्षर किए है।
- ओल्ड रिकार्ड अनुभाग के अनुभाग प्रमुख उनके पास अभिलेखों की प्राप्ति और जब भी मांगे जाए, अनुभागों में सामयिक आपूर्ति के लिए जवाबदेह है।

महालेखाकार कार्यालय में आवक अनुभाग की संरचना

आवक अनुभाग के दो भाग होते हैः

- आवक (डाक) अनुभाग जैसे एक अनुभाग प्रमुख के अन्तर्गत अधीन विशेष क्षेत्र के बिना सामान्य स्टाफ चलाता है।
- आवक (पेंशन) और आवक (जीपीएफ) को संबंधित कर्मचारी और अनुभाग प्रमुख चलाते है जिन्हें क्रमशः पेंशन और जीपीएफ प्रसंस्करण कार्य क्षेत्र में विशेषज्ञता प्राप्त होती है; इनमें आवक अनुभाग का तकनीकी स्टाफ भी शामिल है।

आवक (डाक) अनुभाग का कार्य

सभी पत्र और पेंशन प्रस्ताव प्राप्त और पंजीकृत करना। पेंशनर का नाम, कार्मिक आईडी, विभाग, पता, मोबाइल नम्बर और ईमेल एड्रेस या तो एजी की वेबसाइट से डाउनलोडड एपलीकेशन के इलैक्ट्रानिक रूप से या हाथ से प्रविष्टि द्वारा लिया जाता है। सिस्टम पेंशनर और विभाग को एमएमएस और ईमेल से पावती भेजता है। आवक पत्रों को केन्द्रीकृत पत्राचार अनुभागों को और पेंशन प्रस्ताव आवक (पेंशन) अनुभाग को भेजे जाते हैं।

इस स्तर से आगे, पेंशनर एजी की वेबसाइट से अपने मामले की प्रगति को देख सकता है।

नवीनता # 5

पेंशन प्रोसेसिंग को ऑनलाइन देख पाना।

नवीनता # 6

अधूरे प्रस्तावों को तुरन्त वापिस करना।

नवीनता # 7

चैकलिस्टों का व्यापक उपयोग जो कम्पयूटर सिस्टम के भाग हैं।

आवक (पेंशन) अनुभाग के कार्य

अनुभाग प्रमुख द्वारा हस्ताक्षर मानक प्रिंटिड प्रेषण पत्र के साथ पूरे प्रस्ताव को तुरन्त वापिस करने के लिएः

- जब सेवा पुस्तिका में विभाग से अनिवार्य प्रमाणपत्र शामिल न हो कि प्रविष्टियां अद्यतित, सत्यापित और सही हैं।

- जब पेंशन प्रस्ताव में पेंशनर और पीएसए (मुहर सहित) के अनिवार्य हस्ताक्षर न हो।

डीलिंग हैंड प्रस्तावों की संवीक्षा के लिए चैकलिस्ट का प्रयोग करते हैं जिससे वह सत्यापित करता है कि यदि

- सभी दस्तावेज और सूचना पूरी है। यदि नहीं, तो अनुभाग प्रमुख के अनुमोदन के बाद पेंशनर और विभाग को एक मानक प्रिंटिड पत्र भेजा जाता है।
- अनुभाग प्रमुख द्वारा सत्यापन के लिए ऑनलाइन सृजित आवेदन फार्म की प्रिंटिड प्रतियों पर सुधारों को चिन्हित करता है।
- जहाॅ पेंशनर और विभाग ने केवल भौतिक आवेदन फार्म का प्रयोग किया हो और इलैक्ट्रॉनिक डाटा आंशिक या पूरी तरह से अनुप्लब्ध हो, डीलिंग हैंड आवक अनुभाग में तैनात डाटा ऐन्ट्री आपरेटरों (डीईओ) द्वारा सिस्टम में दिए गए आवेदन फार्म से विवरण प्राप्त करता है और प्रिंट करता है, अनुभाग प्रमुख को प्रस्तुत करने से पूर्व उनको सत्यापित करता है।

अनुभाग प्रमुख चैकलिस्ट के प्रयोग से निम्नलिखित करता है और सिस्टम में आवश्यक परिवर्तन करता हैः

- पेंशन प्रस्तावों की जांच करता है और अधूरी सेवा पुस्तिकाओं और हस्ताक्षर रहित प्रस्तावों को वापिस करने के लिए और जरूरी दस्तावेज और सूचना मंगवाने के लिए डीलिंग हैंड द्वारा प्रस्तुत ड्राफ्ट पत्रों को अनुमोदित करता है।
- डीलिंग हैंड द्वारा चिन्हित सुधारों के साथ इलैक्ट्रानिक फार्म को भौतिक फार्म से सत्यापित करता है।
- पेंशन आवेदन के साथ डीईओ द्वारा इनपुटों के प्रिंटआउट को सत्यापित करता है।

अनुभाग प्रमुख द्वारा मामले के 'स्वीकृत' का बटन दबाने के बाद सिस्टम पेंशन अनुभाग की पहचान के लिए राउंड राबिन विधि का प्रयोग करता है, पेंशन अनुभाग जो कि मामले की प्रोसेसिंग के लिए उत्तरदायी होगा। तथापि, संशोधित मामलों को उसी अनुभाग में भेजा जाता है जिन्होंने वास्तव में मामले को प्राधिकृत किया था। सिस्टम प्राप्त सूचना का प्रिंट आउट सृजित करता है और इन्हें मामले के साथ संलग्न कर पेंशन अनुभाग में भेजा जाता है।

नवीनता# 8

राउंड रोबिन विधि के माध्यम से मामलों का विवरण बराबर कार्यभार सुनिश्चित करता है। जहां पेंशन मामले को विभाग विशिष्ट अन्तरों के कारण भिन्न तरीके से संसाधित करता है, संबंधित अनुभाग प्रक्रिया के मार्ग दर्शन हेतु इलैक्ट्रानिक चैकलिस्ट का प्रयोग करते हैं।

नवीनता # 9

सिस्टम ड्रिवन डायरी की समाविष्टि के कारण कार्य प्रक्रियाओं में परिवर्तन और ए-4 प्रतिभूति पेपर पर अधिकार पत्र से अनुभागीय क्लर्क का पद हटा दिया गया है।

नवीनता # 10

म. ले कार्यालय द्वारा सेवा पुस्तिका की विस्तृत जांच निम्न के साथ करता हैः

- महालेखाकार के कहने पर, राज्य सरकार ने सभी मौजूद विभागों को सेवा पुस्तिकाओं के आवधिक सत्यापन के निर्देश दिए।
- राज्य सरकारों ने निर्देश दिए कि पेंशन अधिकार पत्र हेतु महालेखाकर को अग्रेषित सेवा पुस्तिकाओं में निरपवाद रूप से एक प्रमाण पत्र होता है कि पूरी सेवा पुस्तिका (वेतन निर्धारण सहित) का सत्यापन किया गया है और वह सही पाई गई है।
- बिना उपरोक्त प्रमाण पत्र के म.ले कार्यालय में प्राप्त पेंशन प्रस्ताव को आवक (डाक) स्तर पर ही विभाग को वापिस कर दिया जाता है।
- आन्तरिक नमूना लेखापरीक्षा (आईटीए) विंग पेंशन मामलों को सत्यापन याद्दच्छिक तरीके से करती है और विभागों द्वारा गलत प्रमाणन के किसी मामले को म. ले से

अर्द्ध सरकारी पत्र के माध्यम से विभाग प्रमुख के ध्यान में लाया जाता है। यह विभागों द्वारा सेवा पुस्तिकाओं के यदा कदा सत्यापन को रोकने के रूप में कार्य करता है।

- क्षेत्रीय लेखापरीक्षा पार्टियों को निर्देश दिए गए हैं कि सभी कार्यालय जहां वह लेखापरीक्षा करें, सेवा पुस्तिका की नमूना जांच करें।

आन्ध्रप्रदेश में महत्वपूर्ण सुधार

महालेखाकार के कहने पर राज्य सरकार ने आदेश जारी किएः-

- कार्यालय प्रमुखों के प्राथमिक कर्तव्य दोहराते हुए कि सेवा पुस्तिका का सत्यापन करें;
- वेतन के अधिक भुगतान के लिए उपदान से राशि को न रोकने के म.ले के प्रस्ताव के अनुमोदन और अन्तिम भुगतान प्रमाण पत्र इत्यादि की गैर प्राप्ति इत्यादि; और
- पूर्व में रोकी गई राशि की वापसी।

नवीनता # 11

म. ले कार्यालय द्वारा गैर अर्हक सेना के सत्यापन को छोड दिया गया है। यह 2007 और 2012 के बीच म.ले द्वारा संसाधित एक लाख से अधिक पेंशन मामलों की कार्योत्तर जांच का परिणाम था जिसमें यह स्थापित किया गया कि राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त पाचं वर्षों की अतिरिक्त सेवा के लाभ को समाविष्ट करने के बाद, किसी भी मामले में म.ले कार्यालय द्वारा गैर अर्हक सेवा के संशोधन के परिणामस्वरूप अन्ततः प्राधिकृत पेंशन में संशोधन होगा।

नवीनता # 12

उपदान को अनावश्यक रूप से रोकने को छोड दिया गया है। अब उपदान केवल विभाग के निवेदन या जीपीएफ और एलटीए अनुभाग द्वारा अधिक भुगतान की सटीक राशि की सूचना पर ही रोका जाता है।

नवीनता # 13

म.ले कार्यालय द्वारा विशिष्ट रूप से विभाग को सत्यापन रिपोर्ट जारी करने का निवेदन छोडकर सभी मामलों में अधिकार पत्र सीधे रूप से राजकोष अधिकारी (अग्रिम मामलों के संबंध में) को निर्देश के साथ जारी किए जाते हैं कि केवल सेवानिवृत्ति पर भुगतान किया जाए।

नवीनता # 14

विभिन्न स्थानों पर हस्ताक्षर करने की आवश्यकता को छोड़कर विभिन्न स्तरों पर प्रक्रमण और सत्यापन को सिस्टम, द्वारा ग्रहण किया जाता है।

नवीनता # 15

21 पृष्ठों वाली कार्बन-बैक्ड त्रि-प्लाई कम्प्यूटर स्टेशनरी और अनुभाग प्रमुख और लेखा अधिकारी के अपेक्षित 17 पूरे हस्ताक्षरों को भारत प्रतिभूति मुद्रणालय से ए-4 आकार प्रतिभूति पेपर, जिसमें छः पृष्ठ शामिल हैं से प्रतिस्थापित किया गया है जिस पर लेखा अधिकारी के केवल तीन हस्ताक्षर आवश्यक हैं (और अनुभाग प्रमुख का कोई हस्ताक्षर नहीं)। इसके परिणामस्वरूप, सुरक्षा में वृद्धि, स्टेशनरी की काफी बचत, अनिवार्य हस्ताक्षरों की चूक न होना, अनुभाग लिपिक के पद का अन्त, संबंधित अधिकारी का कार्य कम, तुरन्त प्रेषण और फाइलिंग में आसानी हुई है।

पेंशन अनुभाग द्वारा पेंशन मामलों की प्रोसेसिंग

संबंधित अधिकारी निम्न के लिए चैकलिस्ट का प्रयोग करता हैः

- पेंशन (आवक) अनुभाग द्वारा सृजित प्रिंट आउट के साथ सेवा पुस्तिका प्रविष्टियों की तुलना और अनुभाग प्रमुख के अवलोकन हेतु चूकों को चिन्हित करना।
- नवीनतम वेतन निर्धारण की सटीकता के लिए सेवा पुस्तिका की जांच और उसे इनपुट पत्र पर अभिलेखित करना। संशोधन मामलों के संबंध में, वास्तविक फाइल को मौजूदा प्रस्ताव के साथ मिलाना।
- जहां सिस्टम, जैसा इनवर्ड (पेंशन) अनुभाग द्वारा दर्ज हो, दर्शाता है कि एलपीसी और कोई देय नहीं प्रमाणपत्र (एनडीसी) नहीं है; देखें कि क्या दस्तावेज प्राप्त हुए हैं और अनुभाग प्रमुख द्वारा सिस्टम में शामिल करने के लिए इनपुट शीट में उचित

परिवर्तन करें। अन्यथा सिस्टम प्रिंटिड अधिकार पत्र में भुगतान से पूर्व इनके सत्यापन के लिए विशिष्ट निर्देश स्वतः ही सृजित कर लेगा।

अनुभाग प्रमुख संबंधित अधिकारी के आउटपुट के सत्यापन के लिए एक चैकलिस्ट का प्रयोग करता है और इसे सिस्टम में शामिल करता है, संबंधित अधिकारी द्वारा प्रिंटआउट और इनपुट शीट पर चिन्हित परिवर्तन को लेखा अधिकारी को प्रस्तुत करता है।

लेखा अधिकारी निम्नलिखित कार्य निष्पादित करता हैः

- चैकलिस्ट का प्रयोग कर अनुभाग प्रमुख के कार्य का सत्यापन।
- कम्पयूटर सिस्टम पर अधिकार पत्र का अनुमोदन।
- अधिकार पत्र की राजकोषीय प्रति पर हस्ताक्षर (सामान्यतया तीन सेट होते हैः पेंशन, रूपांतरित मूल्य और उपदान; सिस्टम विभाग और पेंशनर प्रतियों पर उसके प्रतिकृति हस्ताक्षर रिकार्ड करता है)।
- उसके साथ नियुक्त ई-एमटीएस के कार्य की मानीटरिंग करता है।

ईडीपी (पेंशन) अनुभाग राजकोषीय, विभाग और पेंशनधारक की प्रतियों के अधिकार पत्र की प्रिंटिग और उन्हें हस्ताक्षर और प्रेषण हेतु लेखा अधिकारी को भेजने के लिए उत्तरदायी है।

लेखा अधिकारी के साथ संबद्ध एमटीएस के कार्य

शाखा अधिकारी से पेंशन (ईडीपी) और अनुमोदित पेंशन मामलों के प्रिंट एकत्र करना और उन्हें संबंधित अनुभाग के प्रेषण लेखाकार को सौंपना।

अनुभाग में प्रेषण लेखाकार के कार्य

- मामलों को डिस्पेच मोड में रखना (अर्थात पेंशन प्रस्ताव के साथ कार्यालय प्रति, विभाग प्रति के साथ सेवा पुस्तक, पेंशन भुगतान आदेश के साथ विवरणात्मक रोल्स इत्यादि) और सेवा पुस्तक में प्रविष्टि.
- हस्ताक्षर हेतु शाखा अधिकारी को मामले भेजना;
- शाखा अधिकारी से हस्ताक्षरित प्रिंटों के साथ मामले प्राप्त करना;

- पेंशनर, विभाग, राजकोष को प्रेषण हेतु प्रिंट आउटवर्ड अनुभाग में भेजना और पूर्ण रूप से जारी मामलों को ओल्ड रिकार्ड अनुभाग या पेंशन लाइब्रेरी में भेजना (यदि वह आंशिक रूप से जारी, या यदि वीआर जारी की गई है) ।

पेंशन लाइब्रेरी के कार्य

अनुभाग और नाम क्रम में डिस्पेच लेखाकार से प्राप्त मामलों को रखना। मामलों के लिए पत्राचार सैल से प्राप्त मांग पत्रों की प्रक्रिया।

नवीनता # 16

पेंशन फाइल को बाक्स कार्ड बोर्ड फाईल में अनुरक्षित किया जाता है उसे सिला नहीं जाता, जिससे प्रयास की काफी बचत होती है।

आउटवर्ड (प्रेषण) अनुभाग के कार्य

सामान्य डाक द्वारा पेंशनर की कापी को प्रेषित और राजकोष और विभाग प्रतियां (संलग्कन सहित) स्पीड पोस्ट से भेजना चूंकि समान राजकोष से संबंधित बहुल अधिकार पत्र (जीपीएफ अधिकार पत्र सहित) समेकित होते हैं, सिस्टम एक कवरिंग पत्र सृजित करता है जिसमें उन सभी पेंशनरों के नाम शामिल होते हैं जिनके मामले संलग्न हो। डाक घर स्पीड पोस्ट पत्र एकत्र करता है और उन्हें श्रेणीबद्ध कर पहुंचाता है। म.ले कार्यालय डाक विभाग को पतों की एक इलैक्ट्रॉनिक प्रति प्रदान करता है ताकि उनकी ओर से पतों की हस्त प्रविष्टि से बचा जा सके।

नवीनता # 17

बार कोड स्केनरों के प्रारंभ होने से यह सुनिश्चित होता है कि 13-अंक स्पीड पोस्ट संख्या त्रुटिहीन तरीके से सिस्टम में बिना प्रयास के प्राप्त हो जाए। यह संख्या एजी कार्यालय की वेबसाइट पर अपलोड की जाती है, जिसकी कडी डाक विभाग की वेबसाइट से जुडी होती है ताकि पेंशनरों द्वारा प्रेषणों का आसानी से पता लगाया जा सके।

नवीनता # 18

चूंकि पेंशन भुगतान आदेश (पीपीओ) संख्या पेंशन मामलों के डाटाबेस तथा उनके प्रेषण तक पहॅुंचने के लिए महत्त्वपूर्ण लिंक है, इसलिए पेंशन अनुज्ञप्ति में सामान्य तथा बार कोड फार्मेट, दोनों में पीपीओ संख्या होती है जो आऊटवर्ड (प्रेषण) अनुभाग द्वारा इसकी स्कैनिंग तथा इसे स्पीड पोस्ट संख्या से जोडनें को सुगम बनाता है।

नवीनता # 19

कम्प्यूटर प्रणाली वह क्रम निर्दिष्ट करती है जिसमें पुराना रिकार्ड अनुभाग पेंशन फाइलें प्राप्त करना चाहता है। यह सूची ईडीपी (पेंशन) अनुभाग द्वारा छापी जाती है तथा एमटीएस द्वारा इसका प्रयोग पुराना रिकार्ड अनुभाग को पेंशन फाइलें भेजते समय किया जाता है।

पुराना रिकार्ड अनुभाग के कार्य

- जब पेंशन अथवा परिवार पेंशनर पेंशन के संशोधन के लिए वेब-आधारित पेंशन आवेदन का प्रयोग करता है, तो पुराना रिकार्ड अनुभाग एक चेतावनी प्राप्त करता है, जिसके बाद पुरानी फाइलें संबंधित पेंशन अनुभाग को वापस भेजी एवं प्रसारित की जाती है।
- अनुज्ञाप्तियों के प्रेषण पर, पेंशन (प्रेषण) अनुभाग ईडीपी (पेंशन) अनुभाग द्वारा सर्जित इलैक्ट्रानिक सूची द्वारा परिभाषित क्रम से पुराना रिकार्ड अनुभाग को पेंशन फाइलें भेजता है। पुराना रिकार्ड अनुभाग सुविधा के लिए फाइलों को 20 के बण्डलों में भण्डारित करता है तथा इलैक्ट्रानिक रूप से विवरणों को दर्ज करता है।

नवीनता # 20

यह कार्यालय 1965 से संसाधित सभी पेंशन मामलों का रिकार्ड रखता है। 1997 से अब तक की अवधि से संबंधित 2,50,000 से अधिक पेंशन फाइलों का कम्प्यूट्रीकृत डाटा उपलब्ध है। इन सभी फाइलों की बार कोडिंग आसान भण्डार, पहॅुंच एवं वापसी सुनिश्चित करेगी।

पेंशनर की प्रति की सूचना

नवीनता # 21

चूंकि पेंशनरों की प्राधिकृत प्रतियॉ सामान्य डाक द्वारा भेजी जाती है तथा प्रायः विलम्बित हो जाती है अथवा प्राप्त नहीं होती हैं। कोषागारों को पेंशनर पर उसकी प्रति प्रस्तुत करने के लिए जोर न देने तथा केवल कोषागार की प्रति पर कार्य करने का निर्देश दिया गया है। पेंशनर एजी की वेबसाईट से भी अनुज्ञप्ति की प्रतियॉ डाउनलोड़ कर सकता है।

नवीनता # 22

अलग अलग ग्रेचुईटी जारी करने के लिए निदेशक कोषागार को एकल अनुज्ञप्ति।

अपने कर्मचारियों को मँहगाई भत्ता का भुगतान बढ़ाने वाले आवधिक सरकारी आदेश उन पेशनरों पर भी लागू होतें हैं जो प्रभावी अवधि के दौरान सेल में थे। पहले पेंशनर के आवेदन की प्राप्ति पर, एजी का कार्यालय अलग अलग ग्रेचुईटी आदेश जारी करेगा। अब ऐजी कार्यालय की

कम्प्यूटर प्रणाली सवत्रः ही प्रत्येक पात्र पेंशनर को भुगतान योग्य अलग अलग ग्रेचुईटी की गणना करती है तथा ईडीपी (पेंशन) अनुभाग निदेशक कोषागार को एक संयुक्त अनुज्ञप्ति पत्र छापता है जो नामित लेखा अधिकारी द्वारा अनुमोदन के पश्चात भुगतान हेतु भेजा जाता है।

नवीनता # 23

एक बार कोषागार वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क (वीपीएन) तथा डाटाबेस की सुरक्षा सुनिश्चित होने पर, अनुज्ञप्तियों की हाथ से छपाई छोड़ दी जाएगी तथा कोषागार बीपीएम के माध्यम से अनुज्ञप्तियॉ प्राप्त करेगा तथा विभाग एवं पेंशनर की प्रतियॉ ईमेल से भेजी जाएॅगी।

पश्चः भुगतान प्रक्रिया

नवीनता # 24

पेंशन के पहले भुगतान के साथ अनुज्ञप्ति विवरणों का इलैक्ट्रानिक एकीकरण

यह निम्नलिखित ढंग से किया जाता हैः

- पेंशन अनुज्ञप्तियों से संबंधित विवरण प्रतिदिन कोषागार वीपीएन के माध्यम से एजी डाटाबेस से निदेशक कोषागार (डीटीए) को प्रसारित किये जाते हैं।
- यह सूचना कोषागार डाटाबेस में एकीकृत की जाती है।
- भुगतान करते समय, कोषागार भुगतान विवरण कोषागार डाटाबेस में अपलोड करते हैं।
- प्रतिदिन भुगतान विवरण डीटीए डाटाबेस से एजी कार्यालय को उपलब्ध कराए जाते हैं।
- एजी सूचना को पेंशन डाटाबेस में एकीकृत करता है।

नवीनता # 25

प्रभावशाली शिकायत समाधान तंत्र

- पेंशन संबंधी प्रश्नों के लिए एक विशिष्ट ईमेल आईडी बनाई गई है। पेंशन संसाधन का अनुभव रखने वाला एक सहायक लेखा अधिकारी प्रतिदिन ईमेल डाउनलोड करता है, पेंशन डाटाबेस में जाता है तथा यदि ब्योरें उपलब्ध हैं तो पेंशनर को तुरन्त उत्तर प्रस्तुत करता है। अन्यथा, मेल निपटान के लिए महालेखाकार की टिप्पणियों, यदि कोई है, के साथ अनुभाग को भेजी जाती है।
- एक सहायक लेखा अधिकारी को सार्वजनिक शिकायत अधिकारी के रूप में नामित किया गया है तथा एक मोबाईल फोन उपलब्ध कराया गया है। यह सूचना कार्यालय की

वेबसाईट तथा शिकायत सेल के परिसर में उपलब्ध है। पेंशनरों से कॉल पर तुरन्त (यदि कार्यालय समय मे की गई है) तथा अगले कार्य दिवस (यदि कार्यालय समय के पश्चात की गई है) को प्रतिक्रया की जाती है।

- पेंशन मामलों की स्थिति कार्यालय की वेबसाईट पर भी पोस्ट की जाती है।
- पेंशनर एक नामित नम्बर पर एसएमएस भेज कर अपने मोबाईल नम्बर को पंजीकृत करा सकते हैं तथा प्रणाली एसएमएस के माध्यम से स्थिति अपडेट सर्जित करती तथा भेजती है।
- शिकायत सेल उन पेशनरों की शिकायत का समाधान करती है जो कार्यालय में आते हैं।

नवीनता # 26

प्राप्त हुए पत्राचार का प्रभावी प्रबन्धन पेंशनरों से शिकायतों तथा पूछताछ पत्रों के अन्तर्वाह को सम्भालने के लिए दो सहायक लेखा अधिकारियों तथा एक समर्पित दल द्वारा चलने वाली एक केन्द्रीयकृत पत्राचार सेल गठित की गई थी।

नवोत्पादों के परिणाम

अनुज्ञप्तियों के लिए लिया जाने वाला औसत समय अगस्त 2011 में 65 दिनों से घटकर अप्रैल 2012 में 39 दिन हो गया है। यह अनावश्यक प्रक्रियाओं को दूर करने तथा व्यवस्थिति करने के कारण हुआ है जिससे प्रक्रियाओं की संख्या 16 से 9 तक कम हो गई है। उदाहरण के लिए, प्रत्येक मामले के लिए पिछले तरीके में तीन/दो प्लाई प्री-प्रिन्टेड कम्प्यूटर स्टेशनरी पर 21 प्रिन्टेड पृष्ठों को कवर करने वाली पॉच अलग अलग प्रिंट प्रक्रियाएँ अपेक्षित थी, जो ए4 माप के सिक्यूरिटी पेपर के छह पृष्ठों को कवर करने वाली एक प्रिंट स्तर तक कम हो गई थी। इसके परिणामस्वरूप फाडने, कार्बन पेपर हटाने तथा प्रि-प्रिन्टेड स्टेशनरी को अलग अलग करने में शामिल परिश्रम में विचारणीय बचत हुई है। भविष्य के लिए, महालेखाकर को राज्य सरकार के साथ यह पता लगाने की आवश्यकता हो सकती है कि क्या पेंशन अनुज्ञप्तियों को इलैक्ट्रानिक रूप से बैंक में वितरित किया जा सकता है जहॉ पेंशनर का खाता हो तथा बैंक को सीधे ही पेंशनर को भुगतान करने के लिए प्राधिकृत किया जा सकता है। यह महत्त्वपूर्ण रूप से पेंशनर शिकायतों को कम करेगा।

भूमिहीन व्यक्ति

भूमिहीन व्यक्ति

श्री विरेन्द्र कुल्हारिया, आईए एंड ए एस एंड अन्य

प्रवासन अर्थात मानवीय परिवर्तनीयता स्वतंत्रता का सबसे मुख्य तत्त्व है। यह व्यक्तियों, उनके परिवारों, स्त्रोतों के समुदायों तथा गंतव्य क्षेत्रों की क्षमता को भी बढ़ाता है। यह कार्य, शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, राजनीतिक अधिकारों, सुरक्षा इत्यादि के संबंध में स्वतंत्रता एवं अवसरों को विस्तारित करता है।

हमारा विश्व एक असमान स्थान है। पिछले दो दशकों में विशेष कर 1991 के आर्थिक सुधारों के पश्चात, विकास में भारी अन्तरों ने क्षेत्रों में आर्थिक स्तरों, ओद्यौगिकीकरण, निवेश, स्वास्थ्य तथा शिक्षा के स्तरों इत्यादि में भारी अन्तर पैदा किया है।

कुछ क्षेत्रों जैसे पंजाब, हरियाणा तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश को हरित क्रान्ति का लाभ मिला था तथा ये समृद्ध हो गए। कुछ अन्य क्षेत्रों जैसे गुजरात एवं महाराष्ट्र में औद्योगिक विकास की पहल हुई थी। संतुलित विकास के प्रति प्रारंभिक नीतियों जैसे पिछड़े क्षेत्रों में बड़े एवं प्रेरक उद्योग स्थापित करना, से कोई सहायता नहीं मिली क्योंकि इन उद्योगों के प्रायः उस क्षेत्र से बाहर अग्रस्थ एवं पिछले लिंकेज थे। इसके अतिरिक्त न्यूनतम माल भाड़ा दरों की शुरूआत के कारण पहले बिहार (झारखण्ड सहित) एवं एमपी (छत्तीसगढ़ सहित) के संसाधन बहुल क्षेत्रों के प्राकृतिक लाभ को कम कर दिया गया था।

उदारवाद के पश्चात, क्षेत्रों के बीच असमानताएँ और स्पष्ट हो गई थीं। उद्योग स्वाभाविक रूप से उन क्षेत्रों में चले गए एवं सघन हो गए जिनमें औद्योगिकीकरण में एक तीव्र शुरूआत थी अथवा जो समृद्ध थे तथा जिनमें बेहतर अवसंरचनात्मक सुविधाएँ थी। एफडीआई अन्तः प्रवाह से यह देखा जा सकता है। महाराष्ट्र एवं गुजरात के पश्चात तमिलनाडु एवं हरियाणा ने सबसे अधिक एफडीआई को आकर्षित किया है। ये राज्य निवेश को आकर्षित करने के लिए बेहतर नीति परिवेश तथा प्रोत्साहन उपलब्ध कराने में भी सक्षम थे।

अनवरत कुशासन, भ्रष्टाचार, कानून एवं व्यवस्था संबंधी समस्याएँ, सार्वजनिक सेवाओं के खराब प्रावधान के साथ जाति एवं धर्म आधारित नीतियों के कारण क्षेत्रों जैसे बिहार, उत्तरप्रदेश, झारखण्ड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, मध्यप्रदेश एवं राजस्थान में खराब मानव विकास के संकेत हुए।

अतः सस्ते संचार एवं परिवहन के साथ रोजगार अवसरों तथा आय के स्तरों में असमानता ने प्रवासियों की मॉग एवं आपूर्ति को बढ़ा दिया। समृद्ध क्षेत्रों में उच्चतर मजदूरी दरों ने भी प्रवासियों से सस्त श्रम हेतू मॉग उत्पन्न की।

प्रवासी मजदूरी के मुख्य स्त्रोत क्षेत्र बिहार, पूर्वी उत्तरप्रदेश, पश्चिमी उड़ीसा, झारखण्ड, दक्षिणी मध्यप्रदेश तथा दक्षिणी राजस्थान हैं। इन प्रवासियों को रोजगार देने वाले मुख्य क्षेत्र निर्माण, टैक्सटाईल, छोटे उद्योग, ईंट भट्टे, पत्थर की खाने, फसल की ऊगाई एवं कटाई, गन्ने की कटाई, रिक्शा चालन, सुरक्षा सेवाएँ, अतिथि सत्कार आदि हैं। इसके अतिरिक्त प्रवास करने में ऐतिहासिक रूप से ही सुविधाहीन समुदाय जैसे अनुसूचित जन जाति, अनुसूचित जाति, एवं अन्य पिछड़ी जातियों के अधिक लोग होते है। बेचारे प्रवासियों को अनौपचारिक क्षेत्र के कार्यों में समाहित किया जाता है, जिनमें से अनेक असुरक्षित होने के कारण नुकसान देह होते हैं, कम भुगतान किया जाता है तथा अनुत्पादक हैं परन्तु रोजगार का केवल एक मात्र विकल्प होते हैं।

जब लोग स्थान परिवर्तन करते हैं तो वे आशा एवं अनिश्चित्तता की यात्रा प्रारंभ करते हैं। यदि वे सफल होते है तो यह उन लोगों को भी लाभ पहॅुंचाता है जिन्हें वे पीछे छोड़ आये हैं। परन्तु सभी सफल नहीं होते तथा वे अकेलेपन, उन लोगों के बीच अवॉछित महसूस करना जो नये आने वालों को पसन्द नहीं करते, की समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है तथा वे सामाजिक सहायता प्रणाली तक पहुंचने मे भी सक्षम नहीं होते यदि वे बीमार पड़ जॉए या उन्हे नौकरी छोड़नी पड़े।

हमने शिमला में तथा इसके आसपास निर्माण स्थलों पर कुछ महिलाओं का साक्षात्कार लिया। उनके प्रवास का सबसे प्रमुख कारण था कि वे केवल 6 महीने के लिए खेती करती हैं क्योंकि क्षेत्र में सिंचाई की कमी है तथा यह वर्षा सिंचित है। वे प्रतिवर्ष झारखण्ड से शिमला आती हैं। जब उनसे केवल हिमाचल ही आने का कारण पूछा गया तो उन्होंने बताया कि यहॉ पंजाब एवं हरियाणा के उत्तरी मैदानों की तुलना में अच्छा मौसम है। इससे छोटे बच्चों की देखभाल आसान हो जाती है। एक अन्य स्थान पर एक महिला जिसका परिवार पिछले 8 वर्षो से शिमला में बस गया है, ने कृषि के घटते पारिश्रमिक को मुख्य कारण बताया। उसने कहा कि कई महिनों तक बहुत मेहनत करने के बाद भी वे केवल 2 रू/किग्रा की दर से आलू अथवा टमाटर बेच पाने में सक्षम होते हैं। उसने आगे बताया कि जब से ये यहॉ है वे लगभग 1 लाख रूपये बचाने में सक्षम हुए हैं। वे इस राशि का उपयोग अपने बच्चों की शिक्षा के लिए कर सकते हैं। झुग्गी बस्ती से मूल रूप से बिहार से एक चीथड़े बीनने वाले ने बताया कि वह कबाड़ को बेचकर अपना पेट भरना चाहता है तथा यह महत्त्वपूर्ण नहीं है कि वहा कहॉ है।

ये प्रवासी कई समस्याओं का सामना करते हैं। सबसे बड़ी समस्या आवास की है। वे झोपड़ियों में रहते हैं जो उन्हें अत्यधिक ठण्ड के मौसम से बचाने के लिए अपर्याप्त होती हैं। एक कमरे में 10 लोग तक रहते हैं। शौचालय का शायद ही कोई प्रावधान होता है। निर्माण स्थलों पर, अधिकतर ठेकेदार आवास उपलब्ध कराते हैं परन्तु यह अर्धविकसित होता है। जल उपलब्धता अन्य बड़ा मुद्दा है। उस झुग्गी बस्ती में जहॉ हम गए, पूरे क्षेत्र के लिए केवल दो नल थे। सभी निवासी केवल इन दो नलों पर निर्भर हैं। पानी दिन में केवल दो बार आता है। निर्माण स्थलों पर भी, कुछ स्थानों पर महिलाओं का पानी लाने के लिए 1 किमी दूर तक चलना पड़ता है। यद्यपि शिमला में एक अच्छी बात यह है कि इन प्रवासियों को लगभग सब स्थानों पर बिजली उपलब्ध है।

अन्य मुख्य मुद्दा बच्चों की शिक्षा का है। प्रवासियों के अलग अलग समूह अपने बच्चों की शिक्षा के संबंध में अलग अलग समस्याओं को सामना करते हैं। घुमन्तु प्रवासी जो प्रत्येक वर्ष इधर उधर घूमते रहते हैं, अपने बच्चों को कोई शिक्षा नहीं उपलब्ध करा सकते क्योंकि उन्हें उनको अपने साथ रखना पड़ता है। जो पूरा वर्ष रूकते हैं, उन्हें भी समस्या का सामना करना पड़ता है क्योंकि ये अपनी रिहाईश बदलते रहते है क्योंकि कार्य का स्थान एक निर्माण स्थल से दूसरे तक परिवर्तित होता रहता है। नये स्थान पर विद्यालय वर्ष के बीच में दाखिला नहीं देते। अतः कई बार बच्चों को उसी स्थान पर शिक्षण जारी रखने के लिए लम्बी दूरियॉ तय करनी पड़ती हैं।

चॅूंकि कुछ स्थानों पर दिन में वर्ष से कम आयु के छोटे बच्चों की देखभाल का प्रावधान भी नहीं होता, इसलिए महिलाओं को कार्य करते समय पीठ पर बच्चों को उठाये देखा जा सकता है। इसके अतिरिक्त प्रवासी महिला मजदूरों का एक अनूठा दल भी है जो भवन निर्माण सामग्री जैसे पत्थर इत्यादि के परिवहन के कार्य में लगी हुई हैं। ये महिलाएॅ पूरा दिन ट्रक के साथ चलती रहती हैं। वे अपने बच्चों को भी साथ रखती हैं क्योंकि वे उन्हें आगॅनवाडी में नही छोड़ सकती क्योंकि वे सुबह बहुत जल्दी 4 बजे घर से निकल जाती है। तथापि कुछ स्थानों पर कार्य करने वाली प्रवासी महिलाएॅ आस पास आईसीडीएस की सुविधा प्राप्त कर लेती हैं।

परन्तु कुछ स्थानों पर हमने आश्चर्यजनक परिदर्श्य देखा। यहॉ प्रत्येक विद्यालय जाता है तथा उनके अपने सपने हैं। यहॉ बच्चे अपनी प्रवासी स्थिति से अवगत तक नहीं हैं। इसके अतिरिक्त एक चीज जो प्रवासी मजदूरों के सभी-खण्डों से आगे निकल कर जाती है, वह यह है कि वे अपने बच्चों को शिक्षित करना चाहते हैं तथा अपनी अभिलाषा है कि उन कठिनाइयों से न गुजरें जिनसे वे गुजरे हैं। इसके लिए वे अपने बच्चों की भावी शिक्षा हेतु धन बचाने के लिए काफी

बड़ा बलिदान दे रहे है। यही वह सपना है जो इन सभी कठिनाईयों के बीच उन्हें आशान्वित रखता है।

प्रवासी महिलाएँ बहुत कठिनाई से गुजरती हैं। पूरे दिन की कठिन मेहनत के बाद भी, उसे घर परिवार की देखभाल करनी पड़ती है। उसे समान मजदूरी तक नहीं दी जाती। निर्माण स्थल पर एक महिला ने बताया कि एक बार ठेकेदार ने मजदूरी बराबर की थी। परन्तु पुरूषों ने विरोध किया तथा इसे पुनः असमान बना दिया गया।

जहॉ तक प्रवासियों का संबंध है स्वास्थ्य सेवा प्रणाली भी शामिल नहीं है। ठेकेदार निर्माण स्थल पर दुर्घटना के मामले में मजदूरों की देखभाल करते हैं तथा अनुपस्थिति के दिन भी वेतन तक देते हैं परन्तु बीमारी की स्थिति में मजदूरों को अपनी देखभाल खुद करनी पड़ती है।

प्रवासियों को सामाजिक सुरक्षा के लाभ भी नहीं मिलते। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये लाभ लक्षित होते हैं तथा पहचान पत्र जैसे बीपीएल कार्ड की आवश्यकता होती है। उन्हें चावल, गेहॅूं इत्यादि बाजार मूल्य पर खरीदना पड़ता है तथा कोई निशुल्क चिकित्सा भी प्राप्त नहीं होती है। वासन राज्य में पहचान की कमी से कुछ अन्य कठिनाईयॉ, जैसे विद्यालयों में बच्चो का दाखिला, भी उत्पन्न हो जाती है।

प्रवासी केवल अपने गृहराज्य में ही वीपीएल कार्ड प्राप्त कर सकते हैं जो किसी अन्य राज्य द्वारा स्वीकार नहीं किया जाता। इसके अतिरिक्त, चॅूंकि प्रवासियों को वोट डालने का अधिकार नहीं होता, इसलिए राजनीतिक वर्ग भी प्रवासियों के हित में कुछ करने का अधिक इच्छुक नहीं होता।

सामान्य तौर पर ठेकेदार क्षेत्र के अनुसार, जिससे वे संबंध रखते हैं, प्रवासियों को काम देते है क्योंकि बहुत रूढ़िवादी भी होते हैं।

जब हमने एक निर्माण स्थल पर एक श्रम पर्यवेक्षक (मुंशी) से बात की, तो उसने बताया कि वह कौशल कार्य के लिए स्थानीय लोगों को नियोजित करता है जैसे बढ़ई, राजगीर इत्यादि। उसके अनुसार नेपाल से आने वाले लोग मूर्ख होते है, अतः उन्हें ऐसा कार्य देता है जिसमें कौशल की आवश्यकता नहीं होती जैसे पत्थर ढ़ोना अथवा खुदाई करना। उसने यह भी कहा कि झारखण्ड एवं बिहार से आने वाले लोग सामान्यतः जल्दी सीखने वाले होते है तथा वह आसानी से कार्य को समझ लेते हैं। उसने कहा कि उन लोगों कों कार्य सिखाने में भाषा भी बाधा बनती है जिन्हें हिन्दी नहीं आती।

अन्य आने वाली समस्या स्थानीय वासियों द्वारा प्रवासियों के प्रति रूढ़िवाद तथा पूर्वाग्रह का होना है। जब हमने स्थानीय लोगों का साक्षात्कार लिया, यह बहुत स्पष्ट था। झुग्गी बस्ती में

एक स्थानीय निवासी ने बताया कि प्रवासी अवैध गतिविधियों जैसे नशीले पदार्थ तथा शराब के कारोबार में संलिप्त हो जाते हैं। उसने बताया कि इससे उनके बढ़ते बच्चों के लिए माहौल खराब होता है। उसने बताया कि यदि वे ऐसी गतिविधि का विरोध करते है तो प्रवासी उन्हें पीट भी देते हैं। उसके अनुसार पुलिस एवं प्रशासन भी उनके प्रति उदासीन है। यदि वे प्राधिकारियों से शिकायत करते हैं, तो केवल एक अथवा दो पुलिस कर्मचारी औपचारिकतावश आते है और कोई कार्यवाही नहीं करते।

यह प्रवासियों के प्रति यह रूढ़िवाद पूरे देश में विद्यमान है जैसा कि प्रवासियों के विरूद्ध हिंसा में वर्तमान उछाल से देखा जा सकता है जैसे पूर्वोत्तर के लोगों के विरूद्ध प्रतिक्षेप तथा महाराष्ट्र में विहार से आये प्रवासियों के विरूद्ध हिंसा। यह दर्शाता है कि यदि प्रवासियों से समानता तथा निष्पक्षता का व्यवहार न किया जाए, तो उन में से कुछ अवैघ गतिविधियों में संलिप्त हो सकते हैं। यह स्थानीय लोगों के दिमाग में प्रवासियों के विरूद्ध एक रूढ़िवाद को सर्जित करता है। यह दोनों के बीच विरोध पैदा करता है। इस दुश्चक्र को तोड़ना होगा अन्यथा यह कानून एवं व्यवस्था की समस्या उत्पन्न कर देगा जिससे राष्ट्र की अखण्डता को खतरा होगा।

एक सभ्य समाज में प्रवासी श्रम की इस स्थिति का कोई स्थान नही है। प्रवासी मजदूरों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की आवश्यकता को पहचानते हुए भारत सरकार ने बहुत पहले 1979 में अन्तर्राज्य प्रवासी मजदूर (रोजगार तथा सेवा की स्थिति का विनियमन) अधिनियम पारित किया था। यह अधिनियम समय पर मज़ूदरी, उपयुक्त आवास, चिकित्सा सुविधाओं, का प्रावधान करता है, ठेकेदार के लिए दुर्घटना को सूचित करना अनिवार्य करता है तथा अनुपालन में कमी के लिए कारावास सहित शास्तियॉ निर्धारित करता है। परन्तु सरकार की उदासीनता तथा अपने अधिकारों के प्रति प्रवासियों की अनभिज्ञता ने इसके कार्यान्वयन को कल्पना बना दिया है। एक केन्द्रीय कानून के अन्तर्गत राज्यों द्वारा स्थापित निर्माण कामगार कल्याण निधि की भी यही नियति हुई जैसा कि हाल ही में कुछ राज्यों में सीएजी द्वारा दर्शाया गया है।

भारत का संविधान प्रत्येक नागरिक को मौलिक अधिकार के रूप में आजीविका एवं प्रस्थान का अधिकार प्रदान करता है, परन्तु फिर भी इन प्रवासी मजदूरों को अपने ही देश में एक निम्न श्रेणी के नागरिक के रूप में देखा जाता है। प्रवासी मजदूर सभी मोर्चों पर कठिनाईयों का सामना करते हैं। परन्तु इन सभी समस्याओं से केवल तभी निपटा जा सकता है जब हम एक राष्ट्र के रूप में यह ठान लें। कुछ अच्छी पहल हैं जिन्हें कुछ क्षेत्रों में दोहराया जा सकता है। आरएसबीवाई ऐसा ही एक मामला है।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना (आरएसबीवाई) श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) परिवारों के लिए स्वास्थ्य बीमा कवरेज उपलब्ध कराने के लिए शुरू की गई है। आरएसबीवाई का उद्देश्य बीपीएल परिवारों को स्वास्थ्य आघातों से उत्पन्न होने वाले वित्तीय उत्तरदायित्वों से सुरक्षा उपलब्ध कराना है जिनमें अस्पताल में भरती होना शामिल है। आरएसबीवाई के अन्तर्गत लाभार्थी अधिकतर बीमारियों जिनमें अस्पताल में भरती होने की आवश्यकता होती है, ₹ 30,000/- तक अस्पताल भर्ती कवरेज के हकदार हैं। सरकार ने अनेक व्यवधानों के लिए अस्पतालों के लिए पैकेज दर भी निर्धारित की हैं। पहले दिन से पूर्ववर्ती स्थितियों को कवर किया गया है तथा कोई आयु सीमा नहीं है। कवरेज परिवार के पॉच सदस्यों तक विस्तारित है जिनमें गृहस्वामी, जीवन साथी तथा तीन तक आश्रित शामिल हैं। लाभार्थियों को पंजीकरण शुल्क के रूप में केवल ₹ 30/- का भुगतान करना है जबकि केन्द्रीय एवं राज्य सरकार द्वारा प्रतिस्पर्धात्मक बोली के आधार पर राज्य सरकार चयनित बीमाकर्त्ता को प्रीमियम का भुगतान करती हैं।

आरएसबीवाई भाग लेने वाले वीपीएल परिवारों को सार्वजनिक एवं निजी अस्पतालों के बीच चयन की स्वतंत्रता उपलब्ध कराती है। आरएसबीवाई की मुख्य विशेषता यह है कि एक लाभार्थी जिसका नाम एक विशिष्ट जिले में लिखा गया है, वह पूरे भारत में किसी भी आरएसबीवाई पैनल के अस्पताल में अपने स्मार्ट कार्ड का उपयोग करने में सक्षम होगा। यह उन गरीब परिवारों के लिए योजना को विशिष्ठ तथा लाभकारी बनाता है जो एक स्थान से दूसरे स्थान चले जाते हैं। कवरेज का हिस्सा अलग से अपने साथ ले जाने के लिए कार्ड को प्रवासी मजदूरों के लिए अलग अलग भी किया जा सकता है।

सामाजिक सुरक्षा लाभों की सुवाह्यता मजदूरों की उन्हें प्राप्त सामाजिक सुरक्षा अधिकारों को पूर्ववत रखने/बनाए रखने तथा अन्तरण करने में सक्षम करने की योग्यता है। अतः प्रवासियों की किस्मत सुधारने के लिए सुवाह्यता अनिवार्य शर्त हैं।

सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को आधार नम्बर से जोड़ना भी आशाजनक है। यह सभी नागरिकों को पहचान देगा तथा इससे योजनाओं को पूरे देश में वहनीय बनाया जा सकेगा।

महात्मा गॉधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी अधिनियम (मनरेगा) शिक्षा का अधिकार (आरटीई) की तरह पूरे देश में सामाजिक सुरक्षा लाभों के साधारणीकरण को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। व्यतिरेक त्रुटियों को दूर करने के लिए और आगे भी जाया जा सकता है।

'परिवर्तन स्वयं से प्रारंभ होता है' पास ही एक निर्माण स्थल पर इन मजदूरों के बच्चों की स्थिति देखने के बाद हमने प्रवासी मजदूरों के बच्चों के लिए अपनी अकादमी (एनएएए, शिमला)

में एक शिशुसदन प्रारंभ किया है। आज हमारे पास 9 बच्चे है जो देखभाल, सुरक्षा तथा पालन पोषण का लाभ उठा रहें हैं जो हमने उनके लिए सर्जित किया है। उनके चेहरों की मुस्कान हमारी आत्मा एवं ह्रदय को पुलकित करती है। हमने शिमला में प्रवासी श्रम के मुद्दों तथा चुनौतियों पर एक डाक्यूमेन्टरी भी बनाई है। जब हम इस मुद्दे को भारत सरकार के श्रम मंत्रालय में अपर सचिव के संज्ञान में लाये, तो उन्होंने आरएसबीवाई तथा भवन एवं अन्य निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड अधिनियम के अन्तर्गत प्रवासियों को सामाकि सुरक्षा लाभ उपलब्ध कराने के लिए उठाए जाने वाले कदमों के विषय में पूछने के लिए हिमाचल प्रदेश के मुख्य सचिव को पत्र लिखा। यह इस तथ्य का प्रमाण है कि यदि कोई इस कार्य को करने के लिए तैयार हो तो, वह एक प्रवासी के जीवन को थोड़ा सा बेहतर करके उसके जीवन में प्रकाश लाता हैं।

प्रवासियों के इस मुद्दे को आगे बढ़ाने के लिए मजबूत, प्रबुद्ध नेतृत्त्व के साथ जनता को इसमें जोड़ने तथा प्रवास के विषय में तथ्यों से उन्हें अवगत कराने के लिए एक अंधिक सुदृद्ध प्रयास की आवश्यकता होगी। यह हमारे राष्ट्र, संविधान तथा हमारे पूर्वजों के सपनों की विफलता है यदि प्रवासियों के साथ निष्पक्षता तथा समानता का व्यवहार न किया गया। सुधारों के कोर पैकेज में प्रवासियों के लिए मूल भूत अधिकार सुनिश्चित करना तथा गतिशीलता को राष्ट्रीय विकास रणनीतियों का एक अभिन्न अंग बनाना शामिल होना चाहिए।

आईसेड

अन्तर्राष्ट्रीय पर्यावरणीय लेखापरीक्षा एवं सतत विकास केन्द्र (आईसेड)

सुश्री रेबेका मैथई, आईए एवं एएस

मई 2013 में जयपुर में भारत के माननीय उपराष्ट्रपति द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय पर्यावरणीय लेखापरीक्षा एवं संधारणीय विकास केन्द्र (आईसेड) का उदघाटन किया गया था। 16 एकड़ में फैले इस केन्द्र की सुविधाओं में दो प्रशिक्षण हॉल, दो छोटे बैठक कक्ष, एक रंगभवन, एक प्रदर्शन प्रयोगशाला तथा एक पुस्तकालय शामिल है। छात्रावास में एक समय पर 60 प्रशिक्षुओं के ठहरने की व्यवस्था है। भवन की कल्पना एक हरित भवन के रूप में की गई थी तथा इसका उद्देश्य ग्रीन रेंटिंग फॉर इन्टीग्रेटिड हेबीटेट असेसमेन्ट (ग्रीहा)रेंटिंग प्राप्त करना है। तब आईसेड भारत में पहला 5 सितारा ग्रीन रेटिंग सरकारी भवन होगा।

द हिन्दु ने मई 16,2013 में आइसे डपर रिपोर्ट की थी।

गुलाबी शहर में हरा भवन

'निर्माण के दौरान स्थानीय सामग्री जैसे लाल बलुआ पत्थर तथा स्थानीय खानों से संगमरमर तथा फलाई ऐश ईंटों के प्रयोग ने प्रदूषण तथा परिवहन लागत कम करने में सहायता की। ऊर्जा दक्षता विशेषताएँ जैसे अनुकूलन इष्टतमीकरण, लटका आकार, रोशनदान, दीवारों/छतों पर विसंवाहन, लेड़ एवं दक्ष प्रकाश व्यवस्था तथा सौर पीवी सेल पर 100 प्रतिशत बाह्रय प्रकाश व्यवस्था अतिरिक्त 'हरित' विशेषताॅए हैं। जहाॅ उर्जा की खपत कम करने के लिए अधिक प्राकृतिक प्रकाश का उपयोग किया गया है, वहीं दिन के समय स्वतः ही प्रकाश स्तर को और कम करने के लिए नियंत्रण उपकरणों का उपयोग किया गया है। सीएफसी-मुक्त सामग्री के अतिरिक्त, बाहर की प्रकाश व्यवस्था तथा पानी गर्म करने के लिए सौर पैनलों का उपयोग किया गया है। हरित भवन में वर्षा जल संरक्षण प्रणाली तथा स्वतः निर्भर ठोस कचरा प्रबन्धन प्रणाली है अर्थात कचरा निपटान अपशिष्ट संग्रहण तथा पृथ्थकरण प्रणाली, आर्गेनिक कचरा जैसे रसोई का कचरा, बगीचे का कचरा इत्यादि के लिए यौगिक तकनीक का प्रयोग। एक वैकल्पिक कूलन प्रणाली की शुरूआत करके भूउष्णीय कूलन प्रयोग किया गया है जो भवन परिसरों में भूमि की सतह '(4 मीटर नीचे) के नीचे से ठण्डी वायु को पुनः चक्रित कर सकती है। सौर चिमनियों के साथ यह एयर कंडीशनरों पर निर्भरता को कम करेगा।

एक हरति भवन के रूप में आईसेडः आईसेड की हरित विशेषताओं का चित्रात्मक प्रदर्शन

इसकी 'हरियाली' ने भवन में काफी रूचि उत्पन्न की है। परन्तु हमसे अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न हैः भारत के सीएजी ने ऐसी अवसंरचना में निवेश क्यों किया है? तथा यह कि भारत के सीएजी ने अतीत में पर्यावरण लेखापरीक्षाएँ की हैं। अतः आईसेड में अलग क्या होगा?

भारत तथा वैश्विक रूप से पर्यावरण को खतरे वास्तविक हैं। क्या हम भावी पीढ़ी की जरूरतों को पूरा करने की उनकी अपनी क्षमता को कम किये बिना आज की जरूरतों को पूरा कर सकते हैं। यह 'सतत विकास' की चुनौती है। इसमें मानव कल्याण की क्या माॅग है तथा आर्थिक दक्षता, सामाजिक विकास तथा पर्यावणीय सुरक्षा के उद्देश्यों को संतुलित करने के लिए व्यापक दृष्टिकोण लेने के लिए एक विचार शामिल है। वैश्विक रूप से, धरती पर पर्यावरणीय प्रभाव की बहुलता अमीर वर्ग जो 20 प्रतिशत है द्वारा की गई है जिन्होंने मध्य 18 वीं शताब्दी में औद्योगिक क्रान्ति में प्रवेश किया था। और धरती पर युवा वर्ग अधिक है। धरती पर एक तिहाई जनसंख्या बच्चे हैं। ऐसे बच्चे जो अपने माता-पिता से एक दम अलग ढंग से बडे हो रहे हैं। उनमें से अधिकतर अर्ध विकसित संसार में बड़े हो रहें हैं जो वैधानिक रूप से ऐसे जीवन की आकांक्षा रखते हैं जो अधिक खुशहाल, अधिक सुखदायक है परन्तु शायद दीर्घकालिक नहीं है।

भारत की भी यही वास्तविकता है (बाक्स देखें)। सार्वजनिक लेखापरीक्षक के रूप में हम शायद ही इस मुद्दे की उपेक्षा कर सकते हैं। यह व्यापक रूप से स्वीकृत तथ्य है कि पर्यावरण अनिवार्यता की पूरी तरह से उपेक्षा करने से पूर्वोपाय सिद्धान्त एक बेहतर नीति विकल्प है। इस क्षेत्र में सक्रिय सरकारी कार्यवाही द्वारा संसाधनों के अंधाधुंध दोहन को बन्द किया जा सकता है बल्कि पूर्णतया बदला जा सकता है तथा हम, सार्वजनिक लेखापरीक्षक के रूप में अच्छी तरह से जॉच की गई सिफारिशों के साथ हमारी प्रमाणित रिपोर्टिंग के द्वारा इस परिचर्चा में योगदान दे सकते हैं। पर्यावरण लेखापरीक्षाएँ पर्यावरण के प्रभावी संरक्षण में कार्यकारी की विफलता को दर्शाने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती रहीं है तथा निभाती रहेगीं। भारत के सीएजी द्वारा आईसेड का निर्माण इस वास्तविकता को देखने तथा इस वास्तविकता में इसकी भूमिका का घोतक हैः, चुनौती के लिए तैयार होना; तथा पर्यावरण लेखापरीक्षा तथा सतत विकास की लेखापरीक्षा के क्षेत्र में इंटोसाई समुदाय में एक अग्रणी के रूप में आगे आना। चॅूंकि इन लेखापरीक्षाओं को एक वृद्धि के लिए संतुलित किया गया है, इसलिए इन मुद्दों की लेखापरीक्षा में स्वयं को परिचित कराने तथा प्रशिक्षित कराने की आवश्यकता है।

यह भी सत्य है कि भारत का सीएजी एक दशक से पर्यावरण लेखापरीक्षाएँ कर रहा है। वास्तव में, हमने पर्यावरण मुद्दों के आवरण में 100 से अधिक लेखापरीक्षाएँ की हैं, पर्यावरण संबंधी कार्यक्रमों (गंगा कार्यवाही योजना) की लेखापरीक्षा में, निगरानी निकायों जैसे राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण की लेखापरीक्षा तथा हाल ही में, और आगे बढ़ कर लेखापरीक्षाएँ जैसे भारत में जल प्रदूषण। अतः हम इन लेखापरीक्षाओं के लिए नये नहीं हैं। परन्तु उन्होंने पर्यावरण पर सरकारी कार्यक्रमों की व्यापक रूप से लेखापरीक्षा की है। देश में पर्यावरण बहस में भाग लेने के लिए, हमें संपूर्ण रूप से पर्यावरणीय मुद्दों को देखने की आवश्यकता है, वह सूत्र जो विभिन्न विभागों तथा एजेन्सियों से गुजरता है। हमारे पास पर्यावरण लेखापरीक्षाओं का नियमित ज्ञान नहीं है; यह छिट-पुट है तथा कार्यालयों की व्यक्तिगत पहलों का परिणाम है। विषयों के चयन के लिए पर्यावरण जोखिमों को संस्थागत जोखिम आकलन ढॉचे में समाहित नहीं किया गया है।

'भारतीय रेल (आईआर) में पर्यावरण प्रबन्धन' पर हाल ही की रिपोर्ट एक मामले के अध्ययन के रूप में काम आती है। यह कि रेलवे देश में पर्यावरणीय खतरों में महत्त्वपूर्ण योगदान कर सकता है, आम आदमी के लिए एक नया दृष्टिकोण है। भारत के सीएजी ने थोड़े पूर्वबोध के साथ इस विषय का चयन किया है जो व्यक्तिगत पहल का परिणाम है तथा लेखापरीक्षा योग्य मुद्दों को चिन्हित करने के लिए एक संस्थागत आईए एवं एडी-वार पर्यावरणीय जोखिम आकलन द्वारा प्रेरित नहीं है। इसकी अनुपस्थिति में, हमने इस विषय को खो दिया होता।

नमूने हेतु...

- यूएसए एवं चीन के पश्चात, भारत में विश्व का तीसरा सबसे पारिस्थितिक पदचिन्ह हैं। भारतीय प्राकृतिक संसाधनों के संधारणीय स्तर के लगभग दौगुना का प्रयोग कर रहें है जितना देश उपलब्ध करा सकता है।
- भारत में विश्व में सबसे ज्यादा भूजल का उपयोग किया जाता है। कुछ स्थानों पर जल स्तर भयानक रूप से गिर चुका है;
- 1980-81 से हुए कुल वन भूमि विचलन में से लगभग 55% 2001 के बाद हुआ है।

स्त्रोतः कल्पवृक्ष

- भारत में लगभग 70% सतही जल तथा भूजल का बड़ा % जैविक, विषाक्त, कार्बनिक तथा अकार्बनिक प्रदूषकों से दूषित हो चुका है;
- डब्ल्यूएचओ के अनुसार, जी-20 अर्थव्यवस्थाओं में 20 सबसे अधिक प्रदूषित शहरों में से 13 भारत में हैं।

लेखापरीक्षा रिपोर्ट निम्नलिखित के साथ प्रारंभ होती हैः

'भारतय रेल (आईआर)' प्रति वर्ष 7651 मिलियन यात्री तथा 922 मिलियन मीट्रिेक टन माल यातायात ढोता है। यह विश्व में दूसरा सबसे बड़ा यात्री वाहक है तथा देश में कुल माल भाड़े का लगभग 35 प्रतिशत ढ़ोता हैं। भारतीय रेल (आईआर) देश में माल भाड़ा तथा यात्रियों का अकेला सबसे बड़ा वाहक है। यह कुछ प्रदूषण वृद्धिकर वस्तुओं जैसे कोयला, लौह अयस्क, सीमेन्ट, उर्वरक, पैट्रोलियम इत्यादि का थोक वाहक है। जल तथा उर्जा का बड़ा उपभोक्ता होने के नाते आईआर द्वारा अपनाई गए नीतियों का हमारे पर्यावरण तथा देश में जल तथा उर्जा दोनों के संरक्षण पर महत्त्वपूर्ण प्रभाव होता है। अतः पर्यावरण की सुरक्षा के प्रति भारतीय रेल (आईआर) के दृष्टिकोण का देश के लिए पर्यावरण चुनौतियों से निपटने के लिए बड़ा महत्त्व है।

इसकी महता को मानते हुए भारत के सीएजी ने 'भारत में पर्यावरण प्रबंन्धन' की उन्चरण लेखापरीक्षा करने का निर्णय किया। वर्तमान रिर्पोट इस प्रक्रिया के पहले चरण के परिणामों को प्रस्तुत करती है। अगले चरण में रेलवे की कार्यशालाएँ, शेड तथा उत्पादन इकाईयाँ शामिल की जाएँगी तथा अन्तिम चरण में कार्यालयों, कालोनियों, अस्पतालों में पर्यावरण प्रबन्धन को लिया जाएगा।

पर्यावरण लेखापरीक्षाएँ चुनौतियों के अलग समूह को प्रदशित करती हैं। एक बार फिर, रेलवे रिपोर्ट एक अच्छा मामला अध्ययन है। उदाहरण के लिएः साइडिंग/माल शेड़ों में खुले वैगनों में

वस्तुओं जैसे कोयला, लौह अयस्क, सीमेन्ट, उर्वरक इत्यादि की सम्भलाई तथा परिवहन से वायु प्रदूषण होता है। परन्तु प्रदूषण वृद्धि कर वस्तुओं की सम्भलाई तथा परिवहन के लिए साइडिंगों के संचालन से जुड़े व्यापक दिशानिर्देश रेलवे बोर्ड, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड अथवा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी नही किये गए हैं। अतः लेखापरीक्षा मानदण्ड के गठन के लिए उचित मात्रा में कल्पना एवं शोध की आवश्यकता है।

पर्यावरण पर डाटा प्राप्त करना भी कठिन हैं। उदाहरण के लिएः रेलवे परिसरों में कचरे की मात्रा अथवा प्रदूषण की सीमा पर कोई व्यापक डाटा नहीं था। लेखापरीक्षक को 12 क्षेत्रों में फैले 14 बड़े स्टेशनों पर केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के माध्यम से स्टेशन परिसर/साइडिंग/ शेडों में वायु, जल तथा ध्वनि के प्रदूषण का स्वतंत्र आकलन करना पड़ा। दिल्ली के चयनित स्टेशनों में कचरा सर्जन पर राइट्स द्वारा किये गए पिछले अध्ययन के परिणाम, रेलवे स्टेशनों में कचरा सर्जन के मात्रा के द्योतक के रूप में काम आते हैं।

ये चुनौतियॉ पर्यावरण तथा सतत विकास के क्षेत्र में महत्त्वपूर्ण लेखापरीक्षाएँ करने के लिए एक प्रशिक्षण तथा अनुसंधान केन्द्र की आवश्यकता को रेखांकित करती हैं जो लेखापरीक्षा कार्यालयों को सहायता कर सकें जिनके पास सीमित मात्रा में संसाधन है तथा एक विस्तृत लेखापरीक्षा क्षेत्र आईसेड द्वारा तैयार किया गया जोखिम आकलन ढॉचा, जिसे राष्ट्रीय स्तरीय राज्यों विभाग कार्यक्रमों से प्रशिक्षित किया जा सकता है, लेखापरीक्षा कार्यालयों को अपने लेखापरीक्षा विषय चुनने के लिए एक आदर्श उपलब्ध कराएगा। यदि लेखापरीक्षा दलों को लेखापरीक्षा प्रारंभ करने के साथ ही वास्तविक समय पर सहायता उपलब्ध कराई जाए, तो आईसेड लेखापरीक्षा की गुणवत्ता को स्मृद्ध करेगा। इस प्रकार, आईसेड की गतिविधियॉ केवल प्रशिक्षण से कहीं अधिक विस्तृत हैं। केवल प्रशिक्षण अथवा प्रशिक्षण सामग्री का प्रचार क्षमता निर्माण के उद्देश्यों को पूरा करने में सहायता नहीं करता। एक महत्त्वपूर्ण घटक लेखापरीक्षा करते समय हैण्डहोल्डिंग हैः जब आईसेड लेखापरीक्षा दलों को मानदण्ड का चयन करने, लेखापरीक्षा उद्देश्यों को चिन्हित करने डाटा के स्त्रोतों को चिन्हित करने में सहायता करने, यह सुनिश्चित करने के लिए कि रिपोर्ट व्यापक तथा विस्तृत चित्र प्रस्तुत करती है, मानदण्ड-स्थिति-कारण-निष्कर्ष-सिफारिश ट्रेल स्थापित करते समय भागीदारी कर के सहायता कर सकता है। यह लेखापरीक्षा रिपोर्ट बनाने में अथवा इसकी मंजूरी में आईसेड की भूमिका की कल्पना नहीं करता, परन्तु सहायता उपलब्ध करता है जब लेखापरीक्षा कार्यालयों को आवश्यकता है।

विज़न

हमारा उद्देश्य पर्यावरण तथा सतत विकास के क्षेत्र में जवाबदेहिता तथा शासन के लिए वैश्विक उत्कृष्ट केन्द्र होना है।

मिशन

हम बहुमूल्य भागीदारिताओं द्वारा सक्षम अन्तर-अनुशासनात्मक दृष्टिकोण के माध्यम से पर्यावरण लेखापरीक्षा को सम्पन्न करने के लिए प्रशिक्षण तथा शोध में उच्च गुणवत्ता उत्पाद विकसित करेगें।

सिद्धान्त

- व्यवसायिक उत्कृष्टता
- वस्तुनिष्ठता
- पर्यावरण के लिए चिन्ता
- अध्ययन संगठन
- सहयोगपूर्ण दृष्टिकोण

नीतिगत उद्देश्य

- एक ज्ञान केन्द्र होना जो अध्ययन को प्रोत्साहित करता है तथा पर्यावरण एवं सतत विकास से संबंधित मुद्दों की लेखापरीक्षा के लिए क्षमता निर्माण करता है।
- सरकारी एजेन्सियों तथा सार्वजनिक लेखापरीक्षको के बीच मुख्यधारा विषयक पर्यावरण चिन्ताओं को प्रोत्साहित करना
- शोध करना जो इन मुद्दों से जुड़ी सरकारी संरचनाओं के साथ साथ लेखापरीक्षा में प्रक्रिया बताता है
- पर्यावरण, समग्र विकास एवं व्यापक प्रसार एवं प्रयोग के लिए लेखापरीक्षा संबंधी मुद्दों पर एक सूचना हब होना ज्ञान एवं अनुभव सहभाजन के लिए इस क्षेत्र में कार्य कर रहे साई एवं अन्य संगठनों के साथ भागीदारिता निर्माण करना

- उत्तम प्रबंन्धन व्यवहारों को अपना कर एक आधुनिक संस्थान का विकास करना जो दक्ष, प्रभावी तथा अनुकूलनीय है।

प्रारंभ से ही एक एकीकृत दृष्टिकोण भारत के सीएजी को लेखापरीक्षा संसार में एक व्यापक दृष्टिकोण प्राप्त करने में सहायता करेगा। जिसका अर्थ है सबसे पहले यह स्वीकार करना कि पर्यावरण लेखापरीक्षा उन लेखापरीक्षाओं से अलग नहीं है जिनसे हम सुपरिचित हैं। कार्यकारी विंग की आधारभूत लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं में पर्यावरण लेखापरीक्षा का ऐसा एकीकरण यह सुनिश्चित करेगा कि विशेषज्ञता तथा ज्ञान को संस्थानिक रूप से ग्रहण किया जाता है, स्टाफ के व्यापक स्पैक्ट्रम में फैलाया गया है तथा थोड़े से लोगों तक सीमित नहीं रखा गया है।

आईसीईडी इसके संस्थानिक साझेदारी के द्वारा हमारे लेखापरीक्षा कार्य में अंतः- अनुशासनिक दृष्टिकोण की सहायता के लिए विभिन्न क्षेत्रों से विशेषज्ञता को एकजुट कर सकते हैं। उदाहरणतयाः लेखापरीक्षा नियोजन और लेखापरीक्षा निष्कर्षो/सिफारिशों की अंतिम रूप देने के चरण पर कोयला रिज़र्व के प्रबंधन की लेखापरीक्षा में उद्योग, आईएसएम, धनबाद, पर्यावरणविदों, एनजीओज़ आदि जैसे शैक्षणिक संस्थानों से विशेषज्ञ शामिल हो सकते हैं।

प्रभावी प्रशिक्षण के लिए आईसीईडी में अन्वेषण के साथ एक मजबूत कड़ी की आवश्यकता है औरा लेखापरीक्षाओं के एक निरंतर प्रवाह जो कि आईसीईडी द्वारा जारी दिशानिर्देश नोटों का मार्ग दर्शन करते है, धारणाओं की जॉच जो कि ऐसे अन्वेषण को मजबूत करती हैं, मुख्य रूप से मूल स्तर पर हमारी समझ को और गहन बनाती है (उदाहरणतः अधिकरण पर्यावरण कानून स्थानीय निकायों द्वारा कार्यान्वित किए जाते हैं) और प्रशिक्षण के लिए मामले का अध्ययन बना सकते हैं। आईसीईडी की रचना अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नेतृत्व की भूमिका निभाने की भारत के सीएजी के उद्देश्य को प्रकट करती है जो कि ऐसे लेखापरीक्षाओं को हमारे लेखापरीक्षा उत्पादों का मुख्य भाग बनाये बिना प्राप्त नहीं किया जा सकता और पुनः दोहराने के लिए लेखापरीक्षा कार्य के निरंतर प्रवाह को सुनिश्चित किए बिना।

आईसीईडी को पर्यावरण लेखापरीक्षा पर इंटोसाई के वैश्विक प्रशिक्षण सुविक्षा (जीटीएफ) के तौर पर मान्यता दी गई है। प्रथम जीटीएफ प्रशिक्षण नवम्बर 2013 में होगा। क्या इस प्रशिक्षण को अनन्य बनाता है? कार्यक्रम में छह मॉड्यूल है, प्रत्येक को विभिन्न एसएआईज से क्षेत्र में विशेषज्ञ द्वारा बनाया जाता है और इन विेशषज्ञों द्वारा जयपुर में प्रशिक्षण दिया जाता है। यूएसए, एस्टोनिया, ब्राजील, नोर्वे, फिनलैंड और अवश्य ही भारत से एसएआईज इस जीटीएफ

कार्यक्रम पर बनाएगें और प्रशिक्षण देंगे जो कि सम्पूर्ण विश्व में एसएआईज के लिए खुला है। आईसीइडी क्षेत्र में सर्वोत्तम के बीच साझा कर और सीख सकता है, सीखने के अनुभव का लाभ उठा सकता है और इसे इसके राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में जोड़ने के साथ-साथ इसकी वेबसाइट पर सर्वोत्कृष्ट सत्र को सबसे साथ साझा करता है।

यह एक चुनौती है किंतु भारत के सीएजी को पर्यावरण लेखापरीक्षा एवं संधारणीय विकास के क्षेत्र में अग्रणी के तौर पर स्थापित करने के लिए रोमांचक अवसर प्रदान करता है। प्रथम चरण महत्वपूर्ण है, इस क्षेत्र में हमारे गठन के लिए हमारे लिए आधार मजबूत होना चाहिए।

सत्वों को अलग-अलग श्रेणियों में विभाजित करने के लिए जोखिम निर्धारण सहायता कर सकता हैः

- वे जिन्हें महत्वपूर्ण जोखिम है (पर्यावरण लेखापरीक्षा परिप्रेक्ष्य के साथ) और निष्पादन लेखापरीक्षा (पीए) के लिए ली जा सकती है या
- वे जिनके लिए स्थानीय लेखापरीक्षा पर निर्धारित रोक पर्याप्त होगी अथवा (ग) वे जिनके लिए एक एकीकृत लेखापरीक्षा अनुबद्ध की जायेगी।

समकक्ष समीक्षा प्रतिवेदन ने सिफारिश की थी कि साई इंडिया को हमारे लेखापरीक्षा कार्य को सूचित करने के लिए विशेषज्ञों से टिप्पणी लेनी चाहिए।

सम्प्रेषण

लेखापरीक्षित सत्वों के साथ बातचीत पर निदेशन संदर्भ सं. आई/बी/8/117-पीपीजी/53-2013 दिनांक 14.5.2013

निष्पादन लेखापरीक्षण का मुख्य उद्देश्य केवल कमजोरियों या पूर्व गलतियों का पता लगाने की बजाय उनकी सहायता द्वारा जिनके पास शासन का प्रभार है और निष्पादन सुधारने में निगरानी जिम्मेदारी के साथ जवाबदेही को बढ़ावा देना है। एक निष्पादन लेखापरीक्षा का सफल परिणाम तब होता है जब लेखापरीक्षित सत्व प्रबंधन, लेखापरीक्षा सिफारिशों को कार्यान्वित करता

है और सत्व के निष्पादन पर भी सकारात्मक प्रभाव है। इस उद्देश्य को पाया जा सकता है, काफी हद तक लेखापरीक्षित सत्वों के साथ व्यावसायिक कार्य संबंधी संबंधों के निर्माण और संभालने द्वारा, प्रभावी पारस्परिक क्रिया सुनिश्चित करना और लेखापरीक्षा प्रक्रिया में लेखापरीक्षित सत्वों से शामिल होने द्वारा निष्पादन लेखापरीक्षण दिशानिर्देशों में यह निदेशन नोट निर्देशों को पूरा करेगा और लेखापरीक्षा और लेखे 2007 पर विनियमों के विनियम 72 के लागू होने पर विस्तृत दिशानिर्देश प्रदान करता है।

इसमें आवश्यक्ता होगीः

- सत्व, इसके पर्यावरण, आंतरिक नियंत्रण ढॉचा आदि की समझ
- नियमित अंतरालों पर दो तरफा संव्यवहार करना
- सम्पूर्ण लेखापरीक्षा प्रक्रिया के दौरान व्यावसायिक और वस्तुनिष्ठ व्यवहार। इसे ध्यान में रखते हुए, यह निर्धारित किया गया है कि निष्पादन लेखापरीक्षा प्रक्रिया के निम्न चरणों पर बातचीत की आवश्यकता है।

लेखापरीक्षा योजना को अंतिम रूप देना

प्रधान महालेखाकार/महालेखाकार विषयों और क्षेत्रों जिन्हें निष्पादन लेखापरीक्षाओं के लिए चयनित किया जा सकता था के लिए कार्यकारी या वे जिनके पास शासन का प्रभार है, से सुझाव प्राप्त कर सकता है। यह लेखापरीक्षित सत्वों की चिंताओं को समझने में सहायता करेगा और निष्पादन लेखापरीक्षा के विषयों के निर्धारण के लिए साई इंडिया में उपक्रमित जोखिम निर्धारण अभ्यास को पूरा करेगा। यह लेखापरीक्षित सत्वों से संबंधित सुशासन और नियामक मुद्दों की प्रशंसा करने का अवसर भी देगा।

लेखापरीक्षा की सूचना

लेखापरीक्षित सत्वों को लेखापरीक्षा के कार्यक्षेत्र और सीमा के साथ नियोजित निष्पादन लेखापरीक्षा के प्रारंभ के साथ-2 नियोजित निष्पादन लेखापरीक्षा के लिए प्रारंभिक अध्ययन करने के उद्देश्य के बारे में लेखापरीक्षा प्रारंभ होने से पूर्व सूचित किया जाना चाहिए सूचना में

लेखापरीक्षा दल का गठन, चयनित उप इकाईयों, यदि पहले से सुनिश्चित हो और संभावित समय सारणी भी निहित होनी चाहिए।

सूचना प्रबंधन की जिम्मेदारी से संबंधित भी हो सकती है और लेखापरीक्षा कार्यभार से सफल समापन के लिए उनके सहयोग का अनुरोध कर सकती है। आगे, जहॉ भी, अभिलेखों की पहॅुंच, साइट विजिट आदि के लिए विशेष अनुमति की आवश्यक्ता हो, इसे उचित प्राधिकरण से प्राप्त किया जाना और अभिलेख में रखा जाना चाहिए। इस संव्यवहार की अभिस्वीकृति का अनुरोध किया और अभिलेख में रखा जा सकता है।

प्रवेश सम्मेलन

निष्पादन लेखापरीक्षा के प्रारंभ पर प्रवेश सम्मेलन संबंधित विभाग की सरकार के सचिव के साथ महालेखाकार द्वारा आयोजित की जाती है। यदि सचिव या समतुल्य अधिकारी उपस्थित न हो, ग्रुप अधिकारी सम्मेलन को आयोजित करता है। जहॉ एक से अधिक विभाग/ एजेंसी शामिल होते हैं, ऐसी एजेंसियों/विभागों से प्रस्तुतीकरण मॉगा जाना चाहिए। इस सम्मेलन का उद्देश्य सत्व को लेखापरीक्षा उद्देश्यों, लेखापरीक्षा दृष्टिकोण और समय-सीमा जिसमें लेखापरीक्षा करना अपेक्षित होता है के साथ-साथ लेखापरीक्षा किए जाने वाले क्षेत्रों के बारे में सूचना देना है।

लेखापरीक्षा मानदंड/पैरामीटर/प्रतिमानों जिनके विरूद्ध निष्पादन लेखापरीखा बेंचमार्क की जायेगी की भी चर्चा की जानी चाहिए। अक्सर, अधिनियम, नियम, प्रतिमान लेखापरीक्षित सत्व द्वारा निर्धारित किए जाते हैं, आंतरिक दिशानिर्देश आदि मानदंड के तौर पर स्वीकार किए जाते हैं। सरकार/विभाग/एजेंसी प्रतिमानों की अनुपस्थिति में उपरोक्त कथित के अलावा अपनाए गए प्रतिमान/मानदंड की चर्चा की जानी चाहिए और प्रतिमानों/मानदंड पर लेखापरीक्षित सत्व के साथ सर्वसम्मति से पहॅुंचना चाहिए जोकि मूंल्यांकन के लिए अपनाया जायेगा। सम्पर्क अधिकारियों के नामांकन, अभिलेखों की प्रस्तुति, संयुक्त निरीक्षणों की व्यवस्था, फोटोग्राफ आदि सहित लेखापरीक्षा प्रमाण के सत्यापन, लेखापरीक्षा अवलोकनों को जारी करना, प्राप्त किए जाने वाले उत्तर की समयावधि एवं अन्य लौजिस्टिक्स व्यवस्थाओं सहित इस सम्मेलन के दौरान इस लेखापरीक्षा के संचालन के लिए प्रोटोकोल स्थापित किया जाता है। यह सम्मेलन विषय-वस्तु पर लेखापरीक्षित सत्व की चिंताओं पर चर्चा करने का अवसर भी प्रदान करती है। प्रवेश सम्मेलन के

बाद अनुष्ठानों का कार्य विवरण भी बनाया जाना चाहिए जिसे लेखापरीक्षित सत्व के साथ साझा करना चाहिए और अभिस्वीकृति का अनुरोध करना चाहिए।

क्षेत्रीय लेखापरीक्षा

लेखापरीक्षा दल के नेता से लेखापरीक्षित सत्व के प्रभारी लेखापरीक्षाओं के लिए चयनित क्षेत्रीय इकाईयों के साथ उन्हें विशेष लेखापरीक्षा उद्देश्यों और लेखापरीक्षा कार्यक्रम के पहले दिन ही लेखापरीक्षा के कार्यक्षेत्र और समय सारणी के बारे में सूचित करने के लिए एक बैठक का आयोजन किया जाना अपेक्षित होता है। यह लेखापरीक्षा दल को लेखापरीक्षित सत्व में लेखापरीक्षा के संचालन के लिए उत्तरदायी व्यक्तियों के साथ परिचित होने का अवसर भी देती है। यह अपेक्षित है कि इस बैठक के दौरान लेखापरीक्षा दल को आंतरिक नियंत्रणों की सामान्य स्थिति और चिंता या उच्च जोखिम के क्षेत्रों यदि कोई हो, की एक समझ हो जाती है। लेखापरीक्षा के संचालन के लिए पहले से सहमत प्रोटोकॉल को इस बैठक में पुनः दोहराया जा सकता है।

लेखापरीक्षा दलों को सूचना के अभिलेख और मॉगे गए (लेखापरीक्षा मॉग-पत्र) और सम्पूर्ण क्षेत्रीय लेखापरीक्षा के दौरान प्राप्त दस्तावेजों को रखना चाहिए। किए गए साक्षात्कार, संयुक्त निरीक्षणों आदि के विवरण भी रखे जाने चाहिए थे। लेखापरीक्षा निष्कर्षो/सिफारिशों को बनाने के दौरान जिम्मेदार स्तर पर लेखापरीक्षित सत्व मॉगे जा सकते हैं। यदि पहले से ही लेखापरीक्षा ज्ञापनों का उत्तर प्राप्त न हुआ हो, लेखापरीक्षा दल नेता या प्रभारी समूह अधिकारी को लेखापरीक्षा निष्कर्षों और सिफारिशों पर उनके अवलोकनों की मॉग करते हुए लेखापरीक्षा के अंत पर लेखापरीक्षित इकाई के प्रभारी अधिकारी के साथ एक एग्जिट बैठक का संचालन करना चाहिए। ऐसी एग्जिट बैठक का विवरण तैयार करना चाहिए और लेखापरीक्षित सत्व के साथ बॉटना और अभिस्वीकृति का अनुरोध करना चाहिए। धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार के मामलों की रिपोर्टिंग के लिए, लेखापरीक्षा दलों को, लेखापरीक्षा के समापन की प्रतीक्षा न करना और उच्च प्राधिकरणों जैसे कि ग्रुप अधिकारी। महालेखाकार के ध्यान में घटनाओं को लाने के निर्देश दिए जा सकते हैं।

एग्जिट सम्मेलन

निष्पादन लेखापरीक्षा का समापन लेखापरीक्षित सत्व के मुख्य कार्यकारी के साथ एक एग्जिट सम्मेलन के साथ होना चाहिए। जहाॅ एक से अधिक विभाग/एजेंसी शामिल है, ऐसी एजेंसियों/विभागों से प्रस्तुतीकरण माॅगा जाना चाहिए। लेखापरीक्षित सत्व के उत्तरों सहित ड्राफ्ट लेखापरीक्षा प्रतिवेदन को एग्जिट सम्मेलन का आयोजन करने से दो सप्ताह पूर्व जारी करना चाहिए। महालेखाकार या ग्रुप अधिकारी को साई इंडिया के प्रतिनिधियों के तौर पर एग्जिट सम्मेलन का नेतृत्व करना चाहिए।

सभी लेखापरीक्षा निष्कर्षों परिणामों और सिफारिशों पर चर्चा की जाती है और जहां तक संभव हो लेखापरीक्षित सत्व के प्रत्यक्ष उत्तर निवेदित और अभिलिखित किए जाते हैं। जहाॅ तक संभव हो, लेखापरीक्षा परिणामों और सिफारिशों के बारे में लेखापरीक्षित सत्व के साथ एक सहमति पर पहॅुंचने का यह एक मंच है। लेखापरीक्षित सत्व द्वारा प्रत्येक सिफारिश का प्रत्यक्ष रूप से उत्तर पाने का प्रयास करना चाहिए ताकि यह अंतिम लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में प्रसारित की जा सके। यह लेखापरीक्षा दल को किसी भी शंका का स्पष्टीकरण देने के लिए भी अनुमत करेगा जो कि सत्व उठा सकते हैं एग्जिट सम्मेलन का विवरण अभिलिखित होना चाहिए और सत्व को यह कहते हुए दो सप्ताह की अविध के भीतर विवरण की अभिस्वीकृति का अनुरोध के साथ परांकन करना चाहिए कि निर्धारित अवधि के भीतर अभिस्वीकृति की गैर-प्राप्ति की दशा में, यह माना जायेगा कि लेखापरीक्षित सत्व कार्य विवरण के साथ सहमत है। यदि एग्जिट सम्मेलन का आयोजन करने के लिए लेखापरीक्षा के अनुरोध का लेखापरीक्षित सत्व का शीर्ष उत्तर नहीं देता है, प्र.म.ले/म.ले को लेखापरीक्षा और लेखे 2007 के विनियम 76 का हवाला देते हुए सत्व के शीर्ष को सम्मेलन के आयोजन के लिए मनाना चाहिए। यदि, मनाने के बाद भी एग्जिट सम्मेलन नहीं किया जा सका, इस तथ्य को रिपोर्ट में अभीलिखित किया जा सकता था।

अंतिम ड्राफ्ट रिपोर्ट

कार्यरत डीएआई/एडीएआई के अनुमोदन के बाद, एग्जिट सम्मेलन के लेखापरीक्षित सत्व/कार्य विवरण के उत्तर समेत लेखापरीक्षित सत्व के शीर्ष या प्रशासन का प्रभार वाले व्यक्ति को जारी किया जाना चाहिए, जैसा भी मामला हो, एक संख्यांकित और गोपनीय प्रति लेखापरीक्षा निष्कर्षों और सिफारिशों का दो सप्ताह के भीतर उत्तर का अनुरोध करते हुए। विशेष सिफारिशों को लेखापरीक्षित सत्त्व का उत्तर अंतिम ड्राफ्ट रिपोर्ट में सम्मिलित होना चाहिए।

अनुवर्ती कार्रवाईयॉ

महालेखाकार को इलैक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में लेखापरीक्षा सिफारिशों के डाटाबेस को रखने की और लेखापरीक्षित सत्त्व और सरकार के साथ अनुपालन और सामायिक सुधारात्मक कार्रवाई की आवधिक रूप से जॉच करने की आवश्यक्ता है। शेष लेखापरीक्षा अवलोकनों, गैर-कार्यान्वित स्वीकृत सिफारिशें और लेखापरीक्षित सत्व की चिंताओं की समझ की जॉच के अवसर का लाभ उठाने के लिए विभागीय लेखापरीक्षा समितियों के साथ निरंतर बातचीत करनी चाहिए। यह अपेक्षित है कि एक वर्ष में कम से कम दो बैठकों का आयोजन अनुवर्ती कार्रवाई के लिए किया जाना चाहिए।

सतत सम्प्रेषण

लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के लिए सामग्री की गोपनीयता संदर्भ सं. III/एस/5/258-पीपीजी/24-2013 दिनांक 27.7.2013

भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक, संविधान के अनुच्छेद 151 के तहत, राष्ट्रपति/गवर्नर को लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के प्रस्तुतीकरण में सांविधिक कर्त्तव्यों विधान मंडल के समक्ष प्रस्तुत किए गए हैं। वर्तमान निर्देशों के अनुसार, लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों को गोपनीय दस्तावेज माना जाता है जब तक कि वे संसद/राज्य विधान मंडल में प्रस्तुत न हो जाये। सीएजी द्वारा हस्ताक्षर के लिए भेजे गये ड्राफ्ट लेखापरीक्षा पैरा और लेखापरीक्षा रिपोर्टों की बॉड कॉपी के संबंध में विशेषाधिकार भी दावाकृत किए जा रहे हैं। सुस्थापित संसदीय पद्धति उपयोग और रीति के अनुसार, हाऊस के व्यापार से संबंधित मामलों के लिए प्रेस में अपरिपक्व प्रचार देना अनुचित है जो कि है हाऊस में प्रस्तुत होने से पूर्व लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के संबंध में।

लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की गोपनीयता को रखने के मामले पर संसद/राज्य विधानमंडल में प्रस्तुत होने से पूर्व लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के बाहर आने पर वर्तमान ही की मीडिया रिपोर्ट के प्रकाश में पुनः विचार किया गया है। यह निर्धारित किया गया है कि ड्राफ्ट लेखापरीक्षा रिपोर्ट और लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की सामग्री की गोपनीयता/गुप्तता को बनाए रखने के लिए निम्न बिंदुओं का स्थिरता से पालन करना चाहिएः

- एक बार क्षेत्रीय कार्यालय में विभागीय शीर्ष द्वारा किसी लेखापरीक्षा अवलोकन का विकास करने के लिए गोपनीयता का दावा किया जा सकता है चाहे लेखापरीक्षा प्रतिवदेन में संभाव्य समावेशन के लिए ड्राफ्ट/लम्बा पैरा/समीक्षा आदि के प्रकार में हो।
- उससे संबंधित इस प्रकार की कोई भी सामग्री और रिकार्ड को प्रतिबंधित पहॅुंच होनी चाहिए और पासवर्ड संरक्षित कम्प्यूटरों में रखा जाना चाहिए। स्तर जहॉ तक रिपोर्ट सामग्री तक पहॅुंच प्रदान किया जाना चाहिए, क्षेत्रीय कार्यालयों में विभाग के शीर्ष द्वारा निर्धारित किया जाना चाहिए। गोपनीयता की मौलिक जिम्मेदारी विभाग के शीर्ष के पास होगी।
- गोपनीयता विवरण (अनुलग्नक-क) पर उनके हस्ताक्षर होने चाहिए जो रिपोर्ट सामग्री के संपर्क में हैं (रिपोर्ट के डिजाईन और मुद्रण में कार्यरत बाहरी दलों समेत) और अभिलेखों में रखा जाना चाहिए।
- लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में समावेश के लिए प्रसंस्कृत करने के लिए निर्धारित सामग्री के लिए सभी पृष्ठ गोपनीय के तौर पर चिन्हित और 'केवल प्रेषिती द्वारा खोला जाये' टिप्पणी के साथ मोहर बंद कवर में लेखापरीक्षित इकाई या प्रशासनिक विभाग/सरकार को जारी किया जाना चाहिए।
- लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के लिए ड्राफ्ट सामग्री में उल्लेखित तथ्यों और आंकड़ो के सत्यापन के लिए लेखापरीक्षित इकाई या संबंधित प्रशासनिक विभाग/सरकार को ड्राफ्ट सामग्री के प्रेषण के दौरान और उनकी टिप्पणी को प्रकट करने के लिए, यह श्रेणीबद्ध तरीके से उल्लेखित किया जाना चाहिए कि इस प्रकार जारी सामग्री में व्यक्त मत अंतरिम हैं और लेखापरीक्षित इकाई या संबंधित प्रशासनिक विभाग/सरकार के उत्तर पर निर्भर करते हुए परिवर्तित हो सकते है। इसके अलावा, यह अग्रेषण पत्र में स्थिरता से उल्लेखित किया जाना चाहिए कि लेखापरीक्षित इकाई/प्रशासनिक विभाग/सरकार को भी लेखापरीक्षा

प्रतिवेदन की ड्राफ्ट सामग्री की गोपनीयता सुनश्चित करने के लिए यथा सावधानी बरतनी चाहिए।

- रिपोर्ट सामग्री सर्वदा अभिस्वीकृति पावती के अनुरोध के साथ केवल कार्यालयी प्रेषिती को कार्यालय डाक द्वारा भेजी जाये।

- यदि सामग्री ई-मेल से भेजी गई है, निम्न अभिव्यवत करना चाहिएः

  यह इलैक्ट्रॉनिक मेल मैसेज और कोई भी जुड़ी हुई फाइल में इस व्यक्ति या सत्व के विशेष उपयोग के उद्देश्य वाली सूचना है जिसे यह संबोधित किया गया है और इसमें वह सूचना हो सकती है जो कि लागू कानून के तहत मालिकाना, विशेषाधिकार प्राप्त, गोपनीय और/अथवा प्रकटन से छूट प्राप्त है। यदि आप अपेक्षित प्राप्तकर्ता नहीं हैं, आपको यह सूचित किया जाता है कि इस सूचना को किसी भी प्रकार से देखना, कॉपी करना, प्रकटन या वितरण, कानूनी प्रतिबंध या संस्वीकृति के अधीन हो सकता है। किसी भी अनभिप्रेत प्राप्ति के प्रेषक को कृपया सूचित करें और बिना प्रति किये उसके सभी संलग्न को वास्तविक मैसेज के साथ मिटा दें।

- ड्राफ्ट लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में निहित सामग्री की गोपनीयता/गुप्तता सुनिश्चित करने के लिए उपरोक्त निदेशों का कड़ाई से पालन करना चाहिए और कड़ाई से अनुपालन के लिए लेखापरीक्षा प्रतिवेदन कार्य के साथ जुड़े सभी अधिकारी/स्टाफ के ध्यान में भी लाया जा सकता है। उपरोक्त के अलावा, एचओडीज आगे लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की गोपनीयता सुनिश्चित करने के लिए जैसे उचित समझे नियंत्रण लगा सकते हैं।

अनुलग्नक- क

भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा विभाग के कर्मचारियों के लिए गोपनीयता कथन

नाम एवं पद > __________________ दिन पर पुत्र/पुत्री श्री _____________दृढ़ता पूर्वक पुष्टि करते हैं किः

- अपने कर्त्तव्यों का निर्वाह करते हुए मेरे द्‌वारा प्राप्त किसी भी सूचना को प्रकाशित नहीं करूंगा। लेखापरीक्षा कार्य पृष्ठों, ड्राफ्ट रिपोर्टों आदि में निहित सूचना को में गोपनीय रखूंगा।
- मैं समझता हॅूं कि किसी की गोपनीयता को भंग करने पर मेरे विरूद्ध सीसीएस (व्यवहार) नियमों के तहत उचित कार्रवाई की जायेगी।

दिनांकः

स्थानः

(नाम और पदनाम)

अनुलग्नक-ख

रिपोर्ट के मुद्रण और डिजाईन आदि में कार्यरत बाहरी दलों से प्राप्त किया जाने वाला गोपनीयता विवरण- (₹ 50/- के स्टाम्प कागज पर प्राप्त किया जाने वाला- शपथ कमिश्नर/नोटरी पब्लिक द्‌वारा प्रमाणित)

नाम पुत्र/पुत्री, श्री _____________________ निवासी <________________> दृढ़तापूर्वक पुष्टि करता है कि दिनांक __________________ को

- मुझे दी गई लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की किसी भी सूचना/विषयवस्तु को मैं प्रकाशित नहीं करूंगा। लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में निहित सूचना को मैं गोपनीय रखॅूंगा।

- मैं मानता हूं कि किसी भी गोपनीयता को भंग करने पर मेरे विरूद्ध भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा विभाग द्वारा लागू कानून के तहत उचित कार्रवाई की जायेगी।

दिनांक

स्थान

(प्रिंटर का नाम/डिज़ाइनर)

अंतराष्ट्रीय डेस्क से

अंतर्राष्ट्रीय डेस्क से

भारत के सीएजी लेखापरीक्षकों के संयुक्त राष्ट्र मंडल के सदस्य के तौर पर चुने गए हैं

- श्री शशि कांत शर्मा, भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक, 1 जुलाई, 2014 से प्रारंभ छह वर्ष की अवधि के लिए लेखापरीक्षकों के संयुक्त राष्ट्र मंडल के सदस्य के तौर पर चुने गए हैं। चुनाव संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय पर न्यूयार्क में 1 नवम्बर को आयोजित किए गए थे। भारत ने फिलीपिंस इस पद के लिए प्रतिस्पर्धा में अन्य अभ्यर्थी को बड़े अंतर से पराजित किया था। डाले गए 186 वोटों में से, भारत को फिलीपिंस के 62 वोटों के विरूद्ध 124 वोट प्राप्त हुए थे। भारत के सीएजी ने पहले भी 1993 से 1999 तक लेखापरीक्षकों के संयुक्त राष्ट्र मंडल के सदस्य के तौर पर सेवा की थी।

- महासभा ने संयुक्त राष्ट्रों के संगठन और इसकी निधियों और कार्यक्रमों के लेखों की लेखापरीक्षा के लिए और इसके निष्कर्षों और सिफारिशों को सभा को प्रशासनिक और बजटीय प्रश्नों पर सलाहकार समिति एसीएबीक्यू द्वारा रिपोर्ट करने के लिए लेखापरीक्षकों के संयुक्त राष्ट्र मंडल को स्थापित किया था। लेखापरीक्षकों का मंडल पूर्ण रूप से स्वतंत्र है और लेखापरीक्षा करने के लिए पूरी तरह से उत्तरदायी है। वर्तमान में, मंडल/बोर्ड सं. रा शांति रखने वाले प्रचालनों, सं. रा विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी), यूनीसेफ, सं. रा शरणार्थियों के लिए उच्च आयुक्त (यूएनएचसीआर), सं. रा पर्यावरण कार्यक्रम (यूएनईपी), सं. रा मानव पुनर्वास कार्यक्रम (यूएन-हैबीटेट), सं. रा महिलाएँ एवं जलवायु परिवर्तन पर सं. रा रूपरेखा सम्मेलन (यूएनएफसीसीसी)

- महासभा ने लेखापरीक्षकों के मंडल में तीन सदस्य नियुक्त करता है, जिनमें से प्रत्येक एक सदस्य राज्य का महालेखापरीक्षक (या समान शीर्ष वाला कार्यालय) होना चाहिए। लेखापरीक्षको के बोर्ड के वर्तमान सदस्य तनजानिया, यूके और चीन हैं। चीन की अवधि जून 2014 तक है और इस प्रकार यह लेखापरीक्षको के सं.रा बोर्ड पर एशिया पैसिफिक पद रिक्त कर देगा। यह पद अब इन चुनावों में विजय के परिणामस्वरूप भारत द्वारा लिया जायेगा।

भारत के सर्वोच्च लेखापरीक्षा संस्था की अंतर्राष्ट्रीय भूमिका पॉच क्षेत्रों में हैः

- इंटोसाई
- एसोसाई
- वैश्विक कार्य समूह
- लेखापरीक्षाओं का अंतर्राष्ट्रीय संगठन और
- अन्य एसएआईज़ के साथ द्विपक्षीय सबंध

भारत के सीएजी उपरोक्त एजेंसियों में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। इनमें से महत्वपूर्ण, ज्ञान बॉटने पर इंटोसाई समिति के अध्यक्ष (केएससी), आईटी लेखापरीक्षा पर इंटोसाई कार्य समूह (डब्ल्यूजीआईटीए) सं.रा के बाहरी लेखापरीक्षकों का पैनल और इसकी एजेंसियॉ आदि हैं। भारत के सीएजी एसोसाई के अध्यक्ष भी हैं। सीएजी की ऊपरोक्त जिम्मेदारियों के साथ संबंधित घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों कार्यों को मुख्यालय में अंतर्राष्ट्रीय संबधित डिवीजन द्वारा देखा जाता है। साई इंडिया की सक्रिय भागीदारी वाले वर्तमान में मुख्य वृत्तांत थेः

- भारत के एसएआईज संयुक्त राज्यों, इंडोनेशिया और ब्राजील से आईटी विशेषज्ञों की बैठक, एक ई-कोर्स डिजाइन करने और आईटी लेखापरीक्षा गाइड और हस्तपुस्तिका बनाने के लिए मुम्बई और दिल्ली में 7 से 25 जनवरी तक आयोजित की गई थी। आईटी

लेखापरीक्षा पर क्षमता निर्माण कार्यक्रम का एक अपेक्षित परिणाम आईटी लेखापरीक्षा पर इंटोसाई कार्य ग्रुप और आईडीआई द्वारा एफ्रोसाई (ई) क्षेत्र के लिए विकसित प्रशिक्षण सामग्री पर आधारित आईटी लेखापरीक्षा गाईड और एक हस्तपुस्तिका का विकास है। विस्तृत इंटोसाई समुदाय में दिशानिर्देशों को प्रचारित करने के लिए, आईडीआई आईटी लेखापरीक्षा गाइड और हस्तपुस्तिका का प्रयोग करते हुए एक ई-कोर्स शुरू करने की योजना बना रहा है। साई इंडिया, आईटी लेखापरीक्षा पर कार्य समूह के अध्यक्ष के तौर पर इन उत्पादों का बीजिंग चीन में अक्तुबर 2013 में पुष्टि के लिए आयोजित XXI इंकोसाई में संचालन किया है।

- एसोसाई के अध्यक्ष के रूप में, भारत के सीएजी ने 19 से 20 फरवरी 2013 में मनीला, फिलीपींस पर आयोजित एसोसाई के शासित मंडल की आखिरी बैठक की अध्यक्षता की थी। रिपोर्टों की सामान्य कार्यवाही/प्रस्तुतीकरण के अलावा, 2013-2019 की अवधि के लिए इंटोसाई शासी मंडल पर जापान और पाकिस्तान के एसएआईज को एसोसाई के प्रतिनिधयों के तौर पर चुना गया था।
- महालेखापरीक्षक कम्बोडिया के आमंत्रण पर, भारत के सीएजी 23-24 फरवरी 2013 को एक प्रतिनिधि मंडल कम्बोडिया ले गए थे। निमंत्रण सार्वजनिक क्षेत्र लेखापरीक्षण के क्षेत्र में क्षमता निर्माण पर द्विपक्षीय सहयोग पर दो एसएआईज के बीच वर्तमान एमओयू के संरक्षण/कवच के तहत था।
- आईडीआई और एसोसाई के संयुक्त पहल के तहत फरवरी 27 से मार्च 1,2013 तक एशियन क्षेत्र के एसएआईज के मुख्य प्रबंधन के लिए नोम पेन्ह, कम्बोडिया में 3 आई प्रबंधन कार्यशाला का आयोजन किया गया था। एसोसाई क्षेत्र में विकासशील देशों के

एसएआईज में सर्वोच्च लेखापरीक्षा संस्थानों के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानकों (आईएसएसएआईज) लेवल 2 और लेवल 4 के कार्यान्वयन के लिए आईएसएसएआई कार्यान्वयन से संबंधित जागरूकता लाने के उद्देश्य से 3 आई कार्यक्रम का सफलतापूर्वक आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यशाला में भारत के सीएजी से दो वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा प्रतिनिधित्व किया गया था।

- आईएसएसएआई सामन्जस्य परियोजना सार्वजनिक क्षेत्र लेखापरीक्षण के लिए अवधारणा आधार प्रदान करने और आईएसएसएआई ढॉचें में निरंतरता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से मौलिक लेखापरीक्षण सिद्धांतों को संशोधित कर रहा है। सर्वोच्च लेखापरीक्षा संस्थाओं सामंजस्य परियोजना समूह के अंतर्राष्ट्रीय मानकों (आईएसएसएआई) के पॉचवें क्रियाशील सत्र चंडीगढ़ में 8-11 अप्रैल 2013 में आयोजन किया गया था। एसएआई भारत समेत 10 एसएआईज से पंद्रह भागीदारों ने सत्र में भाग लिया था।
- 5 वीं इंडो कुवैत सेमीनार शिलॉग में 29 अप्रैल से 2 मई 2013 तक आयोजित की गई थी। एमओयू के तहत भारत और कुवैत के एसएआईज के बीच प्रत्येक एसएआई में वैकल्पिक रूप से आपसी रूप से सहमती प्राप्त विषयों पर एक संयुक्त सेमीनार प्रत्येक वर्ष आयोजित की जाती है। 5 वें सेमीनार का विषय 'लेखापरीक्षा में गुणवत्ता आश्वासन और गुणवत्ता' था। एसएआई कुवैत से चार भागीदार और एसएआई भारत से चार सेमीनार में उपस्थित थे। कुवैत से प्रतिनिधि मंडल भारत के सीएजी से मिला और दो एसएआईज के बीच चल रहे सहयोग की प्रशंसा की।

उपरोक्त घरेलु एवं अंतर्राष्ट्रीय अनुबंधों के अतिरिक्त, भारत के सीएजी और एसएआई भारत से अन्य नामांकित अधिकारियों ने विभिन्न एसएआईज द्वारा आयोजित 14 अन्य बैठकों/सेमीनारों में भाग लिया।

संपादक के डेस्क से

संपादक के डेस्क से

भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा विभाग, लेखापरीक्षा और लेखों पर अनुच्छेदों और संबंधित प्रबंधन मामलों सहित 'प्रबंधन और प्रशिक्षण के जर्नल' का अप्रैल 1984 से तिमाही प्रकाशन कर रहा था। अनुभव साझा करने के एक फोरम के तौर पर कार्य करने के अलावा, लेखांकन, लेखापरीक्षण और प्रबंधन के क्षेत्र में उन्नतिशील विचारों के आदान-प्रदान में पत्रिका ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

'सरकारी लेखापरीक्षा और लेखों की पत्रिका' पहले के जर्नल का पुनर्जीवित, पुनः परिवर्तित और नया ई-संकलन है। मुझे पाठकों के समक्ष सरकारी लेखापरीक्षा और लेखों पर नये ई-संकलन के पहले प्रकाशन को रखने में उल्लास हो रहा है। हमें आशा है कि यह पत्रिका विभाग के साथ-साथ अंतर्राष्ट्रीय कार्य क्षेत्र में भी संबंधित क्षेत्रों में सर्वोत्कृष्ट पद्धतियों, मुख्य घटनाओं के प्रसारण में आंतरिक संव्यवहार चैनल के तौर पर कार्य करता है।

इस प्रकाशन में, आधार एवं लेखापरीक्षा, पेंशन में नवपरिवर्तन जल प्रदूषण पर लेखापरीक्षा रिपोर्ट बनाने पर मामले का अध्ययन और आईएएएस परिवीक्षाधीनों द्वारा किये गए प्रवासन पर निबंध हैं। प्रकाशन में नई नीति पहलकदम, अंतर्राष्ट्रीय डेस्क से समाचार और नियमित विशेषताओं के तौर पर आईसीईडी पर एक लेख है।

मुझे आशा है कि पाठक पत्रिका के विषय-वस्तु को रोमांचक और उपयोगी पाऐगे। इस पहल को सफल बनाने के लिए मैं फीडबैक और सलाहों को आमंत्रित करता हूं।

(मीनाक्षी शर्मा)

महानिदेशक

व्यावसायिक पद्धति ग्रुप